

**संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल**

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-700-अमृत-वि.यो.-26-सतना-नग्रानि-2021.-

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

**सूचना**

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सतना निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Satna/satna2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, जिला सतना
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सतना विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना या ई-मेल आईडी [obj-sugg-satna@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-satna@mp.gov.in) में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No. 700–Amrut–D.P.–26–satna–TCP–2021.–

Bhopal, the 2<sup>nd</sup> February 2021**NOTICE**

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Satna Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Satna/satna2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
- 2- Collector, District- Satna
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Satna
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Satna

If there be any objection or suggestion with respect to the said – Satna Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Satna or mail on Email-id- [obj-sugg-satna@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-satna@mp.gov.in) before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.



सतना विकास योजना 2035

## प्रस्तावना

सतना नगर विन्ध्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने से व्यवसायिक, औद्योगिक विकास के साथ ही क्षेत्रीय परिवेश में कृषि उत्पाद विक्रय, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों के सुगम यातायात का प्रमुख केन्द्र है। परिक्षेत्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता जैसे लाईमस्टोन, बाक्साइड, रामरज, गेरू आदि तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39, 135-बीजी एवं रेल लाईन से देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा होने के कारण इसका एक विशिष्ट स्थान है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान सतना सीमेंट वर्क्स, यूनिवर्सल केबिल्स फैक्ट्री, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, कमल स्पंज प्लान्ट, प्रिज्म सीमेंट आदि के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत नगर की प्रथम विकास योजना 2001 तैयार की गयी थी जिसका पुनर्विलोकन किया जाकर सतना विकास योजना 2021 म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-32-2009-बत्तीस दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर सतना विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है। योजना काल की जनसंख्या का आंकलन कर नगर विकास की भारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित ना करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं। यह योजना सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें।

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक  
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्य प्रदेश शासन

---

---

सतना विकास योजना 2035

---

---

## सतना विकास योजना 2035 (प्रारूप) : योजना दल

### संयुक्त संचालक

नीरज आनंद लिखार

डॉ. अमित कुमार गजभिये

राजेश नागल

### सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

नागेश पन्द्रो

### कर्मचारीगण

अजय पाटकर  
प्रकाश कुमार विश्वकर्गा  
मीना वर्मा  
अंशुल गुप्ता  
उदित पाण्डेय

जयंत शील  
अनिल सक्सेना  
अरविंद सक्सेना  
सर्वेश पिडिहा  
सरिता ठाकुर  
मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल

डॉ. विवेक कटारे

प्रमुख

भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,  
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

डॉ. देवानु भटनागर

परियोजना समन्वयक अमृत

भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग,  
आरएसएसी, एमपीसीएसटी, भोपाल

अजेन्द्र मिश्रा

शोध सहयोगी

डॉ. जगदीश चन्द्र पलसावदिया

शोध सहयोगी

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

## विषय सूची

प्रस्तावना .....	i
योजना दल .....	iii
विषय सूची .....	v
सारणी सूची .....	xiii
मानचित्र सूची .....	xvii
<b>अध्याय— 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ .....</b>	<b>1</b>
1.1 नगर परिचय.....	1
1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं भौतिक विकास.....	1
1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ.....	2
1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति.....	3
1.2.1 भौतिक स्वरूप.....	3
1.2.2 प्राकृतिक जल विकास.....	3
1.2.3 जलवायु.....	4
1.2.4 वायु दिशा.....	4
1.2.5 भू-आकृति.....	4
1.2.6 भू-गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा.....	4
1.3 नियोजन हेतु प्रयास.....	4
1.4 नियोजन प्रस्ताव.....	5
1.5 निवेश क्षेत्र.....	6
1.6 नगर पालिक निगम क्षेत्र.....	8
<b>अध्याय— 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण .....</b>	<b>9</b>
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सूदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग ..	9
2.1.1 अमृत योजना.....	10
2.1.2 सुदूर संवेदन.....	10
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....	12
2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.....	13
2.2.1 उद्देश्य.....	14

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

2.2.2	कार्यप्रणाली.....	14
2.3	अमृत मानकों की व्याख्या.....	16
2.3.1	थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....	16
2.3.1.1	यातायात संरचना.....	16
2.3.1.2	भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन.....	16
2.3.1.3	ग्राम/वॉर्ड सीमा.....	18
2.3.1.4	ढलान.....	19
2.3.1.5	मृदा.....	20
2.3.1.6	डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM).....	20
2.3.1.7	कंटूर (Contour).....	20
2.3.1.8	लिथोलॉजी.....	21
2.3.1.9	भू-जल संभावनाएं.....	21
2.3.1.10	जलाशय.....	21
2.3.1.11	भूकम्प आपदा परिक्षेत्र.....	22
2.3.1.12	शासकीय भूमि.....	22
2.3.1.13	भूमि मूल्या.....	22
2.3.1.14	भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड.....	26
2.3.1.15	जल स्रोत बफर.....	26
2.3.1.16	भूमि अवक्रमण (Land Degradation).....	27
2.3.1.17	मार्ग संरचना बफर.....	27
2.3.1.18	रेलवे स्टेशन.....	28
2.4	नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता.....	28
2.4.1	नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प.....	29
2.5	भूमि उपयोग का आवंटन.....	35
<b>अध्याय- 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण.....</b>		<b>37</b>
3.1	क्रियान्वयन परिदृश्य.....	37
3.2	विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन.....	37
3.2.1	आवासीय.....	40
3.2.2	वाणिज्यिक.....	40
3.2.3	औद्योगिक.....	42
3.2.4	मिश्रित.....	43

सतना विकास योजना 2035	
3.2.5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें..... 43
3.2.6	आमोद-प्रमोद..... 43
3.2.7	यातायात एवं परिवहन..... 44
3.2.8	नगरीय परिभ्रमण संरचना..... 46
3.3	योजना कालावधि..... 46
3.4	अधिनियम की धारा 23-क (1) अंतर्गत उपांतरण..... 47
3.5	असंगत भूमि उपयोग..... 47
3.6	जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण..... 49
3.6.1	जनसंख्या विश्लेषण..... 49
3.6.2	जनसंख्या लिंगानुपात..... 54
3.6.3	शिशु जनसंख्या..... 54
3.6.4	अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या..... 55
3.6.5	साक्षरता..... 56
3.6.6	कार्यशील जनसंख्या..... 56
3.6.7	जनसंख्या घनत्व..... 57
3.6.8	व्यवसायिक संरचना..... 59
3.6.9	जनसंख्या परिवर्तन..... 60
3.7	नगर के मुख्य कार्यकलाप..... 61
3.8	नगरीय विस्तार..... 62
3.9	अनुमानित जनसंख्या..... 63
3.9.1	नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या..... 63
3.9.2	ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या..... 63
3.9.3	निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या..... 64
3.10	गंदी बस्तियाँ..... 65
3.11	आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता..... 67
3.11.1	आवासों का प्रकार..... 69
3.12	अनुमानित व्यवसायिक संरचना..... 69
3.13	भैतिक अधोसंरचना..... 69
3.13.1	जल प्रदाय..... 69
3.13.2	जल-मल निकास एवं स्वच्छता..... 70
3.13.3	वर्षा जल निकासी..... 71

सतना विकास योजना 2035	
3.13.4	विद्युत प्रदाय..... 71
3.13.5	टोस अपशिष्ट प्रबंधन..... 71
3.14	सामाजिक अधोसंरचना..... 72
3.14.1	शासकीय कार्यालय..... 72
3.14.2	स्वास्थ्य सुविधाएँ..... 72
3.14.3	शैक्षणिक संस्थाएँ..... 73
3.14.4	शमशान घाट एवं कब्रिस्तान..... 73
3.14.5	अग्निशमन सेवा केन्द्र..... 73
3.14.6	क्रीडांगन/खेल परिसर..... 74
3.14.7	डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन..... 74
3.14.8	स्लॉटर हाउस..... 74
3.14.9	पिकनिक स्थल..... 74
3.14.10	मेला स्थल..... 74
3.14.11	प्रदर्शनी स्थल..... 75
3.14.12	तरण ताल..... 75
3.14.13	भू-जल संतर्धन..... 75
3.14.14	ए.टी.एम..... 75
3.14.15	अन्य सेवाएं-सुविधाएं..... 76
<b>अध्याय- 4</b>	<b>प्रस्तावित परिभ्रमण योजना..... 77</b>
4.1	यातायात संरचना..... 77
4.2	यातायात की वर्तमान स्थिति..... 77
4.3	अंतर्नगरीय यातायात..... 78
4.3.1	रेल मार्ग..... 78
4.3.2	सड़क मार्ग..... 78
4.3.3	सीधा यातायात..... 78
4.4	नगरीय यातायात..... 78
4.5	मार्गों का श्रेणी क्रम एवं मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई..... 79
4.5.1	क्षेत्रीय मार्ग..... 79
4.5.2	नगरीय मार्ग..... 79
4.5.3	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई..... 80
4.6	यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री)..... 89

सतना विकास योजना 2035	
4.6.1 आवसान केन्द्र (यात्री).....	89
4.7 पार्किंग प्रस्ताव.....	89
4.8 यातायात प्रबंधन योजना.....	90
4.8.1 चौराहों का विकास.....	90
<b>अध्याय- 5 विकास योजना प्रस्ताव-2035.....</b>	<b>91</b>
5.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन.....	91
5.2 योजना अवधारणा.....	91
5.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....	92
5.4 भूमि उपयोग 2035.....	92
5.4.1 आवासीय.....	93
5.4.2 वाणिज्यिक.....	93
5.4.3 औद्योगिक.....	94
5.4.4 मिश्रित.....	94
5.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक.....	94
5.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं.....	94
5.4.7 आमोद-प्रमोद.....	94
5.4.8 यातायात एवं परिवहन.....	94
5.5 निवेश इकाईयों.....	94
5.6 अनौपचारिक सेक्टर.....	96
5.7 गंदी बस्ती क्षेत्र.....	96
5.8 आमोद-प्रमोद स्थल.....	97
5.8.1 खुला स्थल प्रणाली.....	97
5.8.2 नगर उद्यान.....	97
5.8.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर.....	97
5.9 पुनर्विकास नीति.....	97
5.10 ग्राम आबादी विस्तार.....	98
5.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान.....	98
<b>अध्याय- 6 विकास नियमन.....</b>	<b>99</b>
6.1 प्रवृत्तशीलता.....	99
6.2 क्षेत्राधिकार.....	99
6.3 परिभाषाएँ.....	102

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

6.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र .....	103
6.4.1	आवासीय उपयोग परिक्षेत्र.....	106
6.4.2	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र.....	109
6.4.2.1	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र.....	110
6.4.2.2	वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ.....	111
6.4.3	औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र.....	114
6.4.4	मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र .....	114
6.4.5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र.....	115
6.4.6	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड.....	115
6.5	अन्य नियमन.....	117
6.5.1	12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन.....	117
6.5.2	बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.....	117
6.5.3	फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.....	117
6.5.4	अगौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	118
6.5.5	ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक.....	118
6.5.6	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक.....	119
6.5.7	शॉपिंग मॉल/खुला मॉल.....	119
6.5.8	वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड .....	119
6.5.9	होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग.....	119
6.5.10	मैरिज गार्डन.....	120
6.5.11	बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल.....	120
6.5.12	शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड.....	120
6.5.13	छविगृहों के लिए मापदण्ड.....	120
6.5.14	मल्टीप्लेक्स.....	120
6.5.15	उद्यान.....	121
6.6	संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....	121
6.7	उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर.....	122
6.8	अन्य सुविधाएँ.....	126
6.9	विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.....	126

सतना विकास योजना 2035	
अध्याय- 7	विकास योजना क्रियान्वयन ..... 127
7.1	विकास योजना का क्रियान्वयन ..... 127
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति ..... 128
7.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम ..... 129
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना ..... 129
7.5	विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण ..... 131
7.6	योजना एवं कार्यक्रम ..... 131
7.7	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व ..... 132
7.8	प्रथम चरण कार्यक्रम ..... 132
7.9	संसाधन गतिशीलता ..... 133
7.10	योजना पर्यवेक्षण तंत्र ..... 134
7.11	योजना की व्याख्या ..... 135
अनुसूची	..... 137
परिशिष्ट- 1	..... 149
परिशिष्ट- 2	..... 151
परिशिष्ट- 3	..... 152
परिशिष्ट- 4	..... 153
परिशिष्ट- 5	..... 154
परिशिष्ट- 6	..... 155
परिशिष्ट- 7	..... 156

---

---

**सतना विकास योजना 2035**

---

---

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

### सारणी सूची

सारणी 1-सा-1 सतना से अन्य नगरों की दूरी	3
सारणी 1-सा-2 सतना निवेश क्षेत्र	7
सारणी 2-सा-1 उपग्रह चित्रों के मानक	11
सारणी 2-सा-2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस	12
सारणी 2-सा-3 जियो स्पेशियल डाटा	16
सारणी 2-सा-4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा	17
सारणी 2-सा-5 सीमाओं का वर्गीकरण	19
सारणी 2-सा-6 ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	19
सारणी 2-सा-7 मृदा विश्लेषण	20
सारणी 2-सा-8 लिथोलॉजी	21
सारणी 2-सा-9 भू-जल संभावनाएं	21
सारणी 2-सा-10 जलाशयों का वर्गीकरण	22
सारणी 2-सा-11 विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2018-2019)	23
सारणी 2-सा-12 भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	26
सारणी 2-सा-13 जल स्रोत बफर क्षेत्रफल	26
सारणी 2-सा-14 भूमि अवक्रमण	27
सारणी 2-सा-15 मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल	27
सारणी 2-सा-16 Weighted Index For Composite Land Suitability	30
सारणी 2-सा-17 Land Suitability Area	34
सारणी 3-सा-1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	38
सारणी 3-सा-2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	39
सारणी 3-सा-3 वाणिज्यिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन	41
सारणी 3-सा-4 औद्योगिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन	43

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

सारणी 3-सा-5 आमोद-प्रमोद क्रियान्वयन	44
सारणी 3-सा-6 यातायात एवं परिवहन क्रियान्वयन	45
सारणी 3-सा-7 भूमि उपयोग उपान्तरण	47
सारणी 3-सा-8 भूमि उपयोग उपान्तरण	47
सारणी 3-सा-9 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	48
सारणी 3-सा-10 राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	50
सारणी 3-सा-11 वॉर्ड वार कुल जनसंख्या	51
सारणी 3-सा-12 वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात	54
सारणी 3-सा-13 शिशु जनसंख्या	55
सारणी 3-सा-14 अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या	55
सारणी 3-सा-15 साक्षरता प्रतिशत	56
सारणी 3-सा-16 रतना कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	57
सारणी 3-सा-17 जनसंख्या घनत्व	58
सारणी 3-सा-18 व्यवसायिक संरचना 2011	60
सारणी 3-सा-19 वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	60
सारणी 3-सा-20 नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर	61
सारणी 3-सा-21 ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर	61
सारणी 3-सा-22 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	62
सारणी 3-सा-23 नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन	63
सारणी 3-सा-24 ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन	63
सारणी 3-सा-25 सतना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)	64
सारणी 3-सा-26 गंदी बस्तियाँ	65
सारणी 3-सा-27 आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011)	67
सारणी 3-सा-28 अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ	68

सतना विकास योजना 2035	
सारणी 3-सा-29 आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	69
सारणी 3-सा-30 विद्युत खपत	71
सारणी 4-सा-1 मध्य क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई	80
सारणी 4-सा-2 मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई	83
सारणी 4-सा-3 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई	88
सारणी 5-सा-1 वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण	93
सारणी 5-सा-2 निवेश इकाईयाँ	95
सारणी 6-सा-1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र	104
सारणी 6-सा-2 आवासीय भूखण्ड विकास नियमन	107
सारणी 6-सा-3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	108
सारणी 6-सा-4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड	109
सारणी 6-सा-5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	110
सारणी 6-सा-6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	112
सारणी 6-सा-7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन	115
सारणी 6-सा-8 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड	116
सारणी 6-सा-9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	118
सारणी 6-सा-10 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग	122
सारणी 7-सा-1 योजना क्रियान्वयन की लागत	128
सारणी 7-सा-2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक	132
सारणी 7-सा-3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	133

सतना विकास योजना 2035

## सतना विकास योजना 2035

## मानचित्र सूची

क्रमांक	मा. क्र.	शीर्षक	पृ. क.
1	2	3	4
1	1.1	Regional Setting	2A
2	1.2	Location Map of Planning Area	2B
3	1.3	Planning Area	6A
4	2.1	Satellite Images	10A
5	2.2	Building Footprint	18A
6	2.3	Slope	20A
7	2.4	Soil Texture	20B
8	2.5	DEM	20C
9	2.6	Contour	20D
10	2.7	Lithology	22A
11	2.8	Groundwater Prospects	22B
12	2.9	M.P. Earthquakes Zones	22C
13	2.10	Government Land	22D
14	2.11	Land Value	26A
15	2.12	Geomorphology	26B
16	2.13	Waterbody Buffer	26C
17	2.14	Land Degradation	28A
18	2.15	Road Buffer	28B
19	2.16	Land Suitability (Model-1)	34A
20	2.17	Land Suitability (Model-2)	34B
21	2.18	Land Suitability (Model-3)	34C
22	3.1	Ward	54A
23	3.2	Ward Wise Sex Ratio	54B
24	3.3	Ward Wise Child Population (0-6)	56A
25	3.4	Ward Wise Child Sex Ratio	56B
26	3.5	Ward Wise SC/ST Population	56C
27	3.6	Ward Wise Literacy	56D
28	3.7	Ward Wise Work Participation	58A
29	3.8	Ward Wise Population Density	60A
30	3.9	Urban Sprawl	62A
31	3.10	Existing Water Supply Network	70A
32	3.11	Existing Sewerage Network	70B
33	3.12	Community Toilet	70C
34	3.13	Power Supply Network	72A
35	3.14	ATM	76A
36	4.1	Existing Transport Network	78A

**सतना विकास योजना 2035**

क्रमांक	मा. क्र.	शीर्षक	पृ. क.
1	2	3	4
37	4.2	Proposed Transport Network	88A
38	4.3	Bus Stop	90A
39	5.1	Existing Landuse	92A
40	5.2	Proposed Landuse	94A
41	5.3	Planning Unit	96A
42	7.1	First Phase Implementation	134A

## अध्याय- 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

### 1.1 नगर परिचय

#### 1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं भौतिक विकास

सतना नगर का बसाव बरदाडीह स्थान से प्रारंभ होता है, जो नगर के उत्तर में लगभग तीन कि.मी. पर स्थित है। यह बस्ती पूर्वकाल में बरदाडीह बाजार के नाम से जानी जाती थी, बाद में सन् 1863 में रीवा के महाराजा श्री रघुराज सिंह द्वारा यह भूमि रेलवे टाउनशिप हेतु अर्जित की जाने पर इसको रघुराजनगर के नाम से संबोधित किया गया। 19वीं सदी के अंत में यहां स्थापित सतना स्टोन लाइम कम्पनी के कारण भी सतना नाम को जनप्रिय होने में मदद मिली। एक किंवदन्ती यह भी प्रचलित है कि वर्तमान आबादी से 15 कि.मी. दूरी पर सतना नदी के किनारे सुतीक्षण मुनि का आश्रम होने के कारण भी इस नगर को सतना नाम से संबोधित किया जाने लगा।

#### सन् 1900 तक:-

महाराजा रीवा द्वारा धवारी नाग की बस्ती ब्राह्मणों को आवंटित की गई थी। यह बस्ती 1735 से अभी तक नगर के एक हिस्से के रूप में है। नगर का एक अन्य संबंधे पुरातन क्षेत्र डाली बाबा है, जो पहले इटौरा नाम से जाना जाता था। जगतदेव तालाब भी सन् 1868 में अकाल पीड़ित शरणार्थियों के सहायतार्थ खोले गये राहत कार्यों के रूप में बनाया गया था। वास्तव में इस नगर का विकास सन् 1867-68 के दशक में रेल लाइन निर्मित होने के पश्चात् ही शुरू हुआ। शुरूआत में छोटे दुकानदार, ग्वाले, कुम्हार एवं अन्य मजदूर यहां आ बसे, बाद में महाराजा रघुराज सिंह के विशेष प्रयत्नों से बुन्देलखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कच्छ एवं गुजरात से भी लोग आ बसे। इस क्षेत्र में रीवा रियासत सहित क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने से यह अनाज, तिलहन, कपड़ा एवं किराना का बड़ा व्यापार केन्द्र बन गया।

नगर में 1883 में टेलीग्राफ आफिस निर्मित होने से संचार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित हुई। सन् 1893 में सतना में सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी की स्थापना होने से नगर का वाणिज्यिक आधार मजबूत हुआ। सन् 1896 में नगर में आंखों का चिकित्सालय स्थापित हुआ। सन् 1897 में नगर में पंचायत एवं न्यायालय की स्थापना हुई तथा इसी वर्ष नया तालाब का निर्माण हुआ।

#### सन् 1900 से 1950 तक:-

इस शताब्दी के प्रारम्भ में सतना को नगर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। शतक पूर्वार्द्ध में नगर का विकास रेलवे स्टेशन के आसपास तक ही सीमित था। सन् 1915 में प्रथम आइल मिल की स्थापना होने से यहां कृषि उपज पर आधारित उद्योगों हेतु वातावरण निर्मित हुआ। सन् 1920 में सतना एवं रीवा नगरों के बीच बस सेवा शुरू होने से नगर विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हुई। सन् 1912 में नगर पालिका की स्थापना हुई।

### सतना विकास योजना 2035

सन् 1941 में नगर में "मार्तण्ड टाकीज" प्रथम सिनेमा गृह निर्मित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नगर के समीप हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग सेना द्वारा युद्धबंदियों को लाने हेतु किया जाता रहा। सन् 1948 में जिला मुख्यालय बनने से यहां सिविल लाईन्स में बहुत से कार्यालय स्थापित हुये।


#### 1950 से 1980 तक:-

सन् 1956 में राज्य पुर्नगठन के समय विन्ध्य प्रदेश का, नवीन मध्यप्रदेश में विलीनीकरण होने के पश्चात् यह नगर बघेलखण्ड क्षेत्र के लिये प्रवेश द्वारा बन गया। सतना नगर को विविध गतिविधियों का स्वरूप प्राप्त होता रहा है। सन् 1958 से नगर में नलों द्वारा जल प्रदाय शुरू हुआ। जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, नगर में सन् 1959 में सीमेन्ट कारखाने की तथा सन् 1964 में केबल फैक्ट्री की स्थापना हुई। नगर की दिनों-दिन बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को देखते हुये नगर को सन् 1966 में अमरकंटक ग्रिड से जोड़ा गया। यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु सन् 1970 में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ।


#### 1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सतना नगर विन्ध्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने से व्यवसायिक एवं औद्योगिक विकास के साथ ही क्षेत्रीय परिवेश में कृषि उत्पाद विक्रय, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों के सुगम यातायात का प्रमुख केन्द्र है। परिक्षेत्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता जैसे लाईमस्टोन, बाक्साइड, रामरज, गेरू आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सतना नगर रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135-बीजी से जुड़ा होने से सीधी, पन्ना, रीवा, सिंगरौली एवं मैहर आदि नगरों को जोड़ता है। शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है।

सतना नगर रेल लाईन से देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका एक विशिष्ट स्थान है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान सतना सीमेंट वर्क्स, यूनिवर्सल केबिल्स फैक्ट्री, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, कमल स्पंज प्लान्ट, प्रिज्म सीमेंट आदि के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे जनसंख्या का दबाव तीव्रगति से बढ़ रहा है। यहाँ पर उपलब्ध शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उपक्षेत्रीय स्तर पर विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।



1.2 Location of Planning Area



Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

24

### सतना विकास योजना 2035

#### सतना शहर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1-सा-1

क्र.	समीपस्थ नगर	सड़क मार्ग से दूरी (कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	पन्ना	75
2.	छतरपुर	142
3.	कटनी	112
4.	जबलपुर	208
5.	सागर	269
6.	रीवा	56
7.	प्रयागराज (उ.प्र.)	193
8.	शहडोल	203
9.	उमरिया	171
10.	अनूपपुर	247

### 1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

#### 1.2.1 भौतिक स्वरूप

सतना नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढाल पर स्थित है। नगर की स्थलाकृति समान्य रूप से सपाट है तथा नगर के दक्षिण में स्थित सतना नदी को छोड़कर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है।

#### 1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

नगर का ढाल सामान्यतः दक्षिण की ओर है। वर्तमान विकसित क्षेत्र का प्राकृतिक ढाल उत्तर से पूर्व और दक्षिण-पूर्व की ओर है। कुछ हिस्सों में ढाल पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम की ओर भी है। मध्य रेखा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है। रीवा मार्ग के उत्तर से एक बड़ा नाला प्रारंभ होकर जगतदेव तालाब के निकट से होता हुआ नगर के मध्य क्षेत्र से बहता हुआ सतना नदी में मिलता है। बरसात के पानी के साथ-साथ अन्य मौसम में भी कच्ची-पक्की नालियों व सड़कों का पानी सड़कों के किनारे से उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाले प्रमुख नाले से मिलता है। इस प्रमुख नाले से घरेलू तथा अन्य उद्योगों द्वारा निष्कासित पानी आ मिलने से कभी-कभी वर्षाकाल में बाढ़ से नगर के निचले क्षेत्रों की बस्तियां भी प्रभावित होती हैं। नगर में बरसात के पानी के निकास की कोई व्यवस्था न होने से तथा भूमिगत नालियां न होने से वर्षा का पानी तथा अन्य गंदा पानी खुली नालियों से बहने से अस्वास्थ्यकारक स्थिति बनी रहती है। जगतदेव तालाब का उचित प्रकार से भू-दृश्यीकरण होने पर नगर के मध्य भाग में एक अच्छा मनोरंजन केन्द्र निर्मित हो सकेगा।

### सतना विकास योजना 2035

#### 1.2.3 जलवायु

सतना नगर की जलवायु शुष्क है। ग्रीष्मकाल में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 47<sup>o</sup> सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। शीतकाल में तापमान 26<sup>o</sup> सेंटीग्रेड के आसपास होता है तथा शीतकाल में रात का न्यूनतम तापमान 3<sup>o</sup> सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वर्षाकाल जून से मध्य अक्टूबर तक रहता है, औसतन वर्षा लगभग 1092 मि.मी. होती है।

#### 1.2.4 वायु दिशा

मार्च से सितम्बर तक तेजी से पश्चिम से पूर्व की तरफ हवायें बहती हैं। अक्टूबर से फरवरी तक हवायें दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ सुबह की बेला में एवं पूर्व से उत्तर की ओर शाम के समय बहती हैं। वर्षाकाल में हवा की गति लगभग 40 कि.मी. से 50 कि.मी. प्रति घण्टा होती है।

#### 1.2.5 भू-आकृति

सतना क्षेत्र की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है। सतना नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढाल पर स्थित है।

#### 1.2.6 भू-गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा

सतना निवेश क्षेत्र में खनिज संसाधन जैसे लाईगरटोन, बॉक्साइट, रामरज, गेरु आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र सामान्यतः भू-गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है।

### 1.3 नियोजन हेतु प्रयास

सतना विकास योजना-2001 (प्रारूप) का प्रकाशन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18(1) के प्रावधान अन्तर्गत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 29.08.1986 को किया गया। नागरिकों को प्रारूप योजना के प्रस्तावों को स्पष्ट करने के लिये, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सतना, जिलाध्यक्ष, जिला सतना एवं नगरपालिक निगम, सतना के कार्यालयों में दिनांक 30.08.1986 से 30 दिन की कालावधि तक प्रदर्शित किया गया। प्रारूप योजना पर कुल 104 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। जनसामान्य, संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, द्वारा की गई।

सभी आपत्तियों/सुझावों पर समुचित विचारोपरांत तदनुसार संशोधित विकास योजना, राज्य शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत विकास योजना में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1)(2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 480/434/32-1/88, दिनांक 10.02.1988 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण

### सतना विकास योजना 2035

क्रमांक 51, दिनांक 11.02.1988) तथा सूचना क्रमांक 2716/3080/32-2/88, दिनांक 08.09.1988 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 335, दिनांक 14.09.1988) द्वारा कतिपय उपांतरण प्रस्तावित कर, जन सामान्य से 30 दिन की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये। उक्त उपांतरणों पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की राज्य शासन ने विधिवत सुनवाई कर अधिनियम की धारा 19(3) में कुल 15 उपांतरणों की पुष्टि करते हुए सतना विकास योजना को अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (66) 32-86, दिनांक 18.04.1991 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 334, दिनांक 25.04.1991) द्वारा अनुमोदित की गई है। सतना विकास योजना 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2.20 लाख मानकर तैयार की गई थी।

विकास योजना-2001 के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के पूर्व हुए विकास के आधार पर वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 4.60 लाख के आधार पर योजना तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य विभिन्न उपयोगों हेतु युक्तियुक्त भूमि उपयोगों का निर्धारण नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में यातायात दबाव को कम करने हेतु बाह्य क्षेत्र में विकास के प्रस्ताव, मूलभूत सेवा सुविधाओं के साथ स्वसक्षम निवेश इकाईयों का विकास, आवासीय क्षेत्रों की कार्य केन्द्रों से समीपता आदि के साथ ही नगर के भावी औद्योगिक विकास हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

सतना विकास योजना 2021 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-32-2009-बत्तीस दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील है।

#### 1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में, समयानुसार बदलाव आया है एवं विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। सतना विकास योजना तैयार करते समय, अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये हैं। सतना विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों/लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:-

1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग
2. नगरीय केन्द्र को रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेन्ड इन दो यातायात केन्द्रों के बीच एक सम्पूर्ण कड़ी के रूप में विकसित करना।
3. यत्र-तत्र विकसित बस्तियों तथा भविष्य में विकसित होने वाली बस्तियों को समन्वित रूप में बसाहट का निर्माण करना ताकि अधोसंरचना के निर्मित होने पर मितव्ययता रहकर लोगों को आवागमन में समय की बचत हो सके।
4. कुशल परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना ताकि अन्तर्नगरीय एवं नगरान्तर्गत यात्री एवं सामान का आवागमन सुचारु रूप से हो सके।


### सतना विकास योजना 2035

5. उद्योगों हेतु भूमि का विकास एवं शासन की नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना से संबद्धता स्थापित करना।
6. प्राकृतिक भू-दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण एवं नदी के तटों पर सौन्दर्यीकरण।
7. पुराने ऐतिहासिक/धार्मिक मन्दिर एवं पुरातत्वीय महत्व की धरोहरों का संरक्षण।
8. वाहन विराम स्थलों के प्रावधान।
9. आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव।

### 1.5 निवेश क्षेत्र

सतना के विकास को सुनियोजित प्रतिरूप देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, नगर एवं ग्रामीण नियोजन की अधिसूचना क्रमांक 904/एफ-1-31/तैतीस/74 भोपाल, दिनांक 18 मार्च 1974 को सतना निवेश क्षेत्र का गठन किया गया। जिसमें सतना नगर निगम क्षेत्र सहित 33 ग्रामों को शामिल किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक कंपनियां, हवाई पट्टी का विकास, सतना के समीपवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण विकास गति में और अधिक तीव्रता आई, जिसको दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सतना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-6577-32, भोपाल दिनांक 16.10.1981 द्वारा अधिसूचित की गई थी। सतना विकास योजना 2001 अनुसार ग्राम बदखर, घूरड़ांग, बरदाड़ीह तथा डेलौरा का अंश भाग नगर निगम में शामिल था किन्तु उक्त ग्रामों के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए अतिरिक्त 10 ग्रामों को और सम्मिलित कर लिये जाने से कुल 14 ग्राम नगर निगम सीमा में सम्मिलित हैं। वर्तमान में निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 302759 एवं कुल क्षेत्रफल (राजस्व अनुसार) 11210.93 हेक्टेयर हैं।



29

## सतना विकास योजना 2035

## सतना निवेश क्षेत्र

सारणी 1-सा-2

क्रमांक	नगर/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	4	5
<b>(अ) नगर पालिक निगम</b>			
1	नगर पालिक निगम	6421.38	282977
<b>(ब) ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1.	नीमी	77.55	456
2.	नैना	394.83	3402
3.	बेला वृत्त	294.62	1501
4.	बठिया कलां	500.48	4138
5.	बठिया खुर्द	246.09	734
6.	कैमा कोठार	236.65	822
7.	कैमा उन्मूलन	145.32	1076
8.	हरबदपुर	59.16	30
9.	करही हरमल्ला	156.21	114
10.	गिदुरी	127.20	448
11.	चकबन्दी	70.64	117
12.	बघेड़ी	121.50	12
13.	सोनवर्षा	226.07	1080
14.	सेजहटा	358.20	1959
15.	बेलहटा	493.30	2404
16.	सोनौरा	268.48	261
17.	कटिया	111.93	500
18.	खैरा	88.46	192
19.	बैरिहा	26.43	449
20.	अमौधा कलां (आंशिक)	116.92	87
21.	बदखर कोठार (आंशिक)	64.31	-
22.	बगहा (आंशिक)	364.42	-
23.	बमुरहा (आंशिक)	117.25	-
24.	डिलौरा (आंशिक)	96.17	-
25.	घुरडांग (आंशिक)	36.9	-
26.	कृपालपुर (आंशिक)	155.39	-

### सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	नगर/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	4	5
27.	महदेवा (आंशिक)	9.78	-
28.	सोनौरा चेक उत्तैली (आंशिक)	14.42	-
योग: -		4978.68	19782
निवेश क्षेत्र (अ+ब)		11400.06	302759

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं जी.आई.एस. विश्लेषण

**टीप:** सतना निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना-2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 4064.73 हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 11210.93 हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11400.06 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 11400.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं। निवेश क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामों की आबादी नगर पालिक निगम क्षेत्र में शामिल होने से जनसंख्या अत्यंत निम्न अथवा शून्य है।

### 1.6 नगर पालिक निगम क्षेत्र

रीवा रियासत के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 31 मई, 1921 द्वारा सतना नगर हेतु नगरपालिका गठित की गई, लेकिन नगर को नगरीय स्वरूप, देश की आजादी के पश्चात् ही मिलना शुरू हुआ। सन् 1951-61 के दशक में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि के कारण शासन द्वारा नगरपालिका की सीमाओं में आदेश क्रमांक 179-अठारह-दो, दिनांक 30 जून 1964 द्वारा वृद्धि की गई तथा इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2 दिनांक 24 जुलाई 1964 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। तात्कालिक समय में सतना नगर पालिक निगम का कुल क्षेत्रफल 2109 हेक्टेयर था।

सतना नगर पालिक निगम की वर्तमान सीमा को म0प्र0 शासन स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 117-अठारह-तीन-1994 भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1994 द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसका प्रकाशन म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 383 दिनांक 12 अगस्त 1994 में किया गया। शासन की अधिसूचना के अनुसार तत्कालीन नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त निकटवर्ती 14 ग्रामों को नगर निगम सीमा में सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार नगर निगम का कुल क्षेत्रफल (जी.आई.एस. अनुसार) 6960.48 हेक्टेयर है, जिसको 46 वार्डों में विभाजित किया गया है। नगर पालिक निगम द्वारा एक अन्य वार्ड क्रमांक 00 निरूपित किया गया है, जिसके अंतर्गत हवाई पट्टी परिक्षेत्र आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिक निगम की जनसंख्या 282977 है।

## अध्याय- 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

### 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। नगर की बसाहट एवं उसका विस्तार होने से संलग्न भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भूमि उपयोग/प्रयोजन परिवर्तन होता है। पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का अव्यवस्थित फैलाव का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का दबाव है। सतना नगर में वर्तमान परिपेक्ष्य में अधोसंरचना सुविधाओं की कमी हुई है। सतना नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढाल पर स्थित है, नगर की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है तथा नगर के दक्षिण में स्थित सतना नदी को छोड़कर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है, पश्चिम की ओर स्थित रेल लाईन के कारण नगर का विकास कुछ सीमा तक रुका है यह कहा जा सकता है कि पश्चिम में स्थित रेल लाईन के कारण ही पूर्व में विकास हुआ है।

भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा “**Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation**” (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरितक्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सेवा-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे सभी व्यक्तियों, विशेषतः गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्य-प्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीकी) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इनके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ

### सतना विकास योजना 2035

विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों के अनुसार प्रयोजन व गतिविधियों को प्रस्तावित करने में, तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।


#### 2.1.1 अमृत योजना

“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
- 3- Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

#### 2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.॥ (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग, अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी क्रमांक-2-सा-1 में दर्शाये गये हैं।



**सतना विकास योजना 2035**

**उपग्रह चित्रों के मानक**

सारणी 2-सा-1

S. No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1.	Spatial Resolution	0.5 metres or better	
2.	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3.	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4.	Radiometry	10 bit or better	
5.	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6.	Monoscopic/ Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data View angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of upto 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height(B/H) ratio: 0.6
7.	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho - kit data with RPCs

स्रोत: एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

### सतना विकास योजना 2035

#### 2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लासेस एवं सब-क्लासेस (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है जो कि सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है।

#### स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

#### सारणी 2-सा-2

S. No.	Spatial Layers	Source for spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classe s	Sub Classes
1	2	3	4	5
1.	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	Road			
	Bridges			
	Water Bodies			
2.	Urban Land Use/ Land Cover	Very high resolution satellite data	22	48
3.	Building Footprints	Very high resolution satellite data	16	46
4.	Digital Elevation Model (DEM) Type: Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5.	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6.	Boundaries			
	Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1
	Hazard Prone Areas	NHDC, Department of Seismology	1	

स्रोत: एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

## सतना विकास योजना 2035

### 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय विकास हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना है। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो कि विद्यमान है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे कि बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने में नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर रखे जाएँ। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

#### ● धरातल विशेषताएँ :-

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

#### ● भूमि उपयोग वितरण :-

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, आदि, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

#### ● जनसंख्या विशेषताएँ :-

आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।

#### ● आर्थिक गतिविधियाँ :-

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

#### ● यातायात विशेषताएँ :-

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधाएँ एवं यातायात संरचना।

#### ● आवास विशेषताएँ :-

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रीय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

### सतना विकास योजना 2035

#### ● सार्वजनिक सेवाएँ :-

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मल निकास प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ

#### ● सार्वजनिक सुविधाएँ :-

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक/पूजा/अर्चना स्थल।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

#### 2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना: वर्ल्ड व्यू II (World View II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी से, जो श्रेणी II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हों।

- बसाहट के विस्तार का मानचित्र: विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर नगर का विकास क्रमशः किस विभिन्न समयावधि में हुआ है, उसका मानचित्र तैयार करना।
- संपूर्ण सतना नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
- नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना, एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना


जनगणना के आँकड़े: सतना निवेश क्षेत्र का गठन वर्ष 1991-2001 के बीच किया गया। अतः अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है।

#### 2.2.2 कार्यप्रणाली

सतना नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली नीचे दी गई है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर. एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर

### सतना विकास योजना 2035

सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार है:-



## सतना विकास योजना 2035

### 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए। इन आँकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

#### 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

##### 2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2-सा-3 में दर्शाया गया है।

#### जियो स्पेशियल डाटा

#### सारणी 2-सा-3

S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
1.	01-09	Road	Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village Road
	01-16		Foot Path
2.	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across River

##### 2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सतना शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में उल्लेखित है।

## सतना विकास योजना 2035

## बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2-सा-4

S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
1.	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
2.	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3.	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4.	09-01	Mixed	Residential, Commercial & Public Semi Public
5.	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwadi
			College
			Polytechnic
6.	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/ Dispensary
7.	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8.	13-01	State Govt. Property	Office
9.	15-02	Public & Semi- public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium/ Burial Ground /Graveyard
	15-09		Guesthouse/ Resthouse
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/ Community Toilet
	15-28		Old Age Home
	15-30		Fire Station


### सतना विकास योजना 2035

S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
10.	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/ Math/ Bhojanshala
11.	17-01	Recreational	Garden
12.	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13.	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14.	24-01	Transportation	Bus stand/ Terminus
15.	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16.	26-02	Rural	House
	26-03		Group of Houses
17.	33-09	Others	Farm House
	33-10		Dairy Farm
	33-17		Gaushala

#### 2.3.1.3 ग्राम/वॉर्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगर निगम से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर निगम सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबद्ध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर सतना निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के



### सतना विकास योजना 2035

माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में उल्लेखित है।

#### सीमाओं का वर्गीकरण

#### सारणी 2-सा-5

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

#### 2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं नेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2-सा-6 में दिया गया है।

#### ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

#### सारणी 2-सा-6

S. No.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	0-1%	11203.42	98.28
2.	1-3%	196.64	1.72
<b>Total</b>		<b>11400.06</b>	<b>100</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

### सतना विकास योजना 2035

#### 2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है।

सतना निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्रोत एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया। इससे मिट्टी का संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया। मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2-सा-7 में दर्शित है।

#### मृदा विश्लेषण

#### सारणी 2-सा-7

S. No.	SOIL TEXTURE	AREA (ha)
1	2	3
1.	Fine	466.13
1.	Fine Loamy	1478.87
2.	Fine Silty	4313.82
3.	Loamy	2231.89
4.	Loamy Skeletal	89.78
5.	Builtup	2574.39
6.	Waterbody	245.18
7.	<b>TOTAL</b>	<b>11400.06</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण


#### 2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)


डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) एक जी.आई.एस. आधारित थ्री-डी मॉडल है, जिससे धरातल की ऊंचाई-निचाई/भू आकृति को प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.5 में दर्शाया गया है।


#### 2.3.1.7 कंटूर (Contour)

कंटूर मानचित्र के माध्यम से निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि की समुद्र सतह से ऊंचाई की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसे मानचित्र क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है।









### सतना विकास योजना 2035

#### 2.3.1.8 लिथोलॉजी

सतना निवेश क्षेत्र में चट्टानों की संरचना की जानकारी का अध्ययन कर दो भागों में विभाजित कर चट्टानों की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है। चट्टानों की संरचना निम्नानुसार सारणी 2-सा-8 में दर्शित है।

#### लिथोलॉजी

#### सारणी 2-सा-8

S. No.	LITHOLOGY CLASS	AREA (ha)
1	2	3
1.	Sirbu Shale/Limestone Within Shale	9759.15
2.	Lime stone/Shale	1640.91
<b>TOTAL</b>		<b>11400.06</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

#### 2.3.1.9 भू-जल संभावनाएं

लिस-IV (LISS-IV), सैट-2 (SAT-2) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) एवं जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) से समाकलन कर भू-जल संभावना का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शाया गया है। भू-जल संभावनाएं निम्नानुसार सारणी 2-सा-9 में दर्शित है।

#### भू-जल संभावनाएं

#### सारणी 2-सा-9

S. No.	GROUNDWATER PROSPECTS CLASS	AREA (ha)
1	2	3
1.	Good to Moderate	8697.48
2.	Moderate	1559.66
3.	Moderate to Poor	898.12
4.	Water bodies	244.80
<b>TOTAL</b>		<b>11400.06</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

#### 2.3.1.10 जलाशय

वर्ल्डव्यू-II (World View) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सतना शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-10 में उल्लेखित है।

### सतना विकास योजना 2035

## जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-10

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-08		Island (River/ Lake)
	05-09		Reservoir

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

### 2.3.1.11 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शाया गया है।

सतना क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र छोटे, मध्यम एवं बृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र, मिट्टी की स्थिति तथा भूगर्भीय फॉल्ट्स का अध्ययन एवं विश्लेषण कर तैयार किया गया। सतना निवेश क्षेत्र भूकंप तीव्रता की दृष्टि से ज़ोन-II में वर्गीकृत किया गया है।


### 2.3.1.12 शासकीय भूमि


निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.10 में दर्शाई गई है।


### 2.3.1.13 भूमि मूल्य

मध्य-प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई, एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.11 में दर्शाया गया है। सतना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिक निगम सतना में 46 वॉर्ड सम्मिलित हैं। जिला पंजीयक विभाग सतना से प्राप्त जानकारी सारणी 2-सा-11 में दर्शाई गई है।









सतना विकास योजना 2035

## विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2018-2019)

सारणी 2-सा-11

Ward No.	Ward Name	PLOT (SQM)			BUILDING RESIDENTIAL (SQM)						BUILDING MULTI (SQM)				Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)		
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	TH shade	Matcha kabele	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Unirrigated	Irrigated	Sub Clause wise Residential	Sub Clause wise Commercial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ARJUN WARD	3200-26500	6400-172000	3200-86000	12200-15400	11200-9200	9200-9200	7200-9000	19900-185500	17900-183500	17900-183500	12200-95000	16600-181000	10000000-20000000	3200-86000	7600-172000	
2.	CHATRASAL WARD	3700-26500	7400-43000	3700-26500	12700-35500	11700-9700	7700-9000	7700-9000	20800-59500	18900-64500	18900-64500	12700-35500	16400-62000	9500000-12000000	3700-21500	7400-53000	
3.	LOKMANYA TILAK WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-13500	11500-81000	79000-81000	28500-163500	28500-163500	28500-163500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000	
4.	POORNAMAND WARD	3200-26500	6400-53000	3200-26500	12200-35500	11200-9200	7700-32500	30500-30500	19900-41500	17900-39600	17900-39600	12200-35500	15400-37000	60000000-150000000	3700-26500	7400-53000	
5.	SARJANI NANDU WARD	10500-96000	21000-192000	10500-96000	19500-105000	18500-16500	14500-100000	100000-100000	34500-205500	32500-205500	32500-205500	19500-105000	30000-201000	110000000-350000000	10500-96000	192000-150000	
6.	BRINDAVAN WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-13500	11500-81000	79000-81000	28500-163500	28500-163500	28500-163500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000	
7.	RABINDRANATH TAGORE WARD	6000-53000	12000-106000	6000-53000	15000-62000	14000-12000	1000-59000	57000-57000	119500-119500	119500-117500	119500-117500	15000-62000	21000-115000	6000000-12500000	6000-53000	12000-106000	
8.	SIDHARTH WARD	3800-9200	7600-18400	3800-9200	12800-18200	11800-9800	7800-15200	13200-13200	21100-31900	19100-29900	19100-29900	12800-18200	16600-27400	6000000-12500000	3800-9200	7600-18400	
9.	ACHARYA NARENDRA DE WARD	2700-6400	5400-15000	2700-6400	11700-16500	10700-8700	6700-13500	11500-11500	18900-28500	18900-28500	18900-28500	11700-16500	14400-24000	10000000-110000000	2700-6400	5400-15000	
10.	MAHAVEER WARD	3200-26500	6400-53000	3200-26500	12200-35500	11200-9200	7700-32500	30500-30500	19900-41500	17900-39600	17900-39600	12200-35500	15400-37000	60000000-150000000	3700-26500	7400-53000	
11.	ABDUL KALAM AZAD WARD	3800-26500	6400-28000	3800-26500	16000-35500	15000-13500	11500-81000	30500-30500	66500-66500	64500-64500	64500-64500	12200-23000	15400-62000	60000000-150000000	3200-26500	6400-53000	
12.	RAVISHANKAR SHUKLA WARD	5400-54000	13000-108000	5400-26500	14400-63000	13400-11400	9400-82500	58000-58000	26500-121500	24500-119500	24500-119500	15500-36000	22000-17000	9500000-12500000	5400-26500	10800-53000	
13.	MAHARANA PRATAP WARD	5400-54000	13000-108000	5400-26500	14400-63000	13400-11400	9400-82500	58000-58000	26500-121500	24500-119500	24500-119500	15500-36000	22000-17000	9500000-12500000	5400-26500	10800-53000	
14.	RAJEEV GANDHI WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-13500	11500-81000	79000-79000	163500-163500	163500-163500	163500-163500	16500-84000	24000-159000	9500000-12500000	7500-75000	21000-150000	
15.	LALA LAIPAT RAI WARD	6000-53000	12000-106000	6000-53000	15000-62000	14000-12000	1000-59000	57000-57000	119500-119500	119500-117500	119500-117500	15000-62000	21000-115000	6000000-12500000	6000-53000	12000-106000	
16.	SANJAY GANDHI WARD	3800-9200	7600-18400	3800-9200	12800-18200	11800-9800	7800-15200	13200-13200	21100-31900	19100-29900	19100-29900	12800-18200	16600-27400	6000000-12500000	3800-9200	7600-18400	

## सतना विकास योजना 2035

Ward No.	Ward Name	PLOT (SQM)		BUILDING RESIDENTIAL (SQM)					BUILDING COMMERCIAL (SQM)					BUILDING MULTI (SQM)					Agriculture land Plot (HECTARE/SOM)		
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RMC	Tin shrode	Kaccha kablahi	Shop	9-Fix	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Unirrigated	Sub Clause wise Residential	Sub Clause wise Commercial				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
17.	JAGDEVAN RAM WARD	3800-14000	7600-46000	3800-2300	12800-32000	31000-17500	9800-25000	7800-27000	21100-5900	32000-35500	19100-39500	12800-32000	16600-28000	60000000-140000000	60000000-140000000	3800-23000	7600-46000				
18.	SARDAR PATEL WARD	6500-33000	13000-150000	6500-53000	15500-84000	14500-83000	12500-85000	10500-79000	26500-163500	28500-148500	24500-161500	15500-94000	22000-159000	60000000-125000000	60000000-125000000	8200-75000	16400-150000				
19.	SANT KAWAR RAM WARD	8100-95000	16200-180000	8100-95000	19500-104000	16100-103000	14100-101000	12100-99000	29700-203500	27700-221500	201500	17100-104000	25200-196000	60000000-125000000	60000000-125000000	8100-95000	16200-150000				
20.	SIVAJI WARD	6700-75000	8600-106000	8100-75000	13300-84000	89000	14100-59000	12100-57000	22100-119500	28500-117500	27700	13300-44000	17600-115000	75000000-125000000	75000000-125000000	4300-75000	8600-150000				
21.	ASHOK WARD	9500-96000	34000-192000	9500-96000	63000-105000	25000-104000	15500-102000	13500-100000	32500-205500	30500-238500	30500-105000	18500-105000	28000-201000	110000000-125000000	110000000-125000000	9500-96000	34000-192000				
22.	TULSI RAM THAPA WARD	10500-96000	21000-192000	10500-96000	19500-105000	18500-104000	16500-102000	14500-100000	34500-205500	32500-238500	32500-105000	19500-105000	30000-201000	110000000-125000000	110000000-125000000	10500-96000	21000-192000				
23.	NETAJI SUBHAS WARD	10500-96000	21000-184000	10500-96000	19500-105000	18500-104000	16500-102000	14500-100000	35500-205500	32500-238500	32500-105000	19500-105000	30000-201000	100000000-125000000	100000000-125000000	10500-96000	21000-192000				
24.	SHWAMI WARD	6500-86000	13000-172000	6500-86000	15500-95000	14500-94000	12500-92000	10500-90000	26500-185500	24500-188500	24500-188500	15500-95000	22000-181000	125000000-300000000	125000000-300000000	6500-27000	13000-172000				
25.	PURLUSHOTTAM DASTANIDON WARD	6500-21500	13000-43000	6500-21500	15500-30500	14500-29500	12500-27500	10500-25500	26500-32500	28500-30500	24500-30500	15500-30500	22000-52000	125000000-200000000	125000000-200000000	6500-21500	13000-43000				
26.	RAFI AHMED KIDWAI WARD	5400-9500	10800-19000	5400-9500	14400-18500	13400-17500	11400-15500	9400-13500	24300-32500	28500-30500	22300-30500	14400-18500	19800-38000	100000000-125000000	100000000-125000000	5400-9500	10800-19000				
27.	MANOHAR LOHIYA WARD	5400-38000	8000-18000	4000-38000	13000-47000	46000	11400-44000	8000-42000	21500-31500	13500-15500	19500-87500	14400-47000	17000-85000	80000000-125000000	80000000-125000000	4000-38000	8000-76000				
28.	DR. BALENRA PRASAD WARD	5400-37000	8600-54000	4300-27000	13300-36000	12300-35000	10800-39000	8300-31000	22100-67500	27100-15500	20100-6500	13300-36000	17600-63000	95000000-250000000	95000000-250000000	4300-27000	8600-54000				
29.	RACHA KRISHNAN WARD	5400-9800	7600-10800	5400-9800	12800-18800	11800-13400	11400-15600	9400-13800	21100-33100	13800-17900	19100-31100	14400-18800	16600-28600	95000000-125000000	95000000-125000000	3800-9800	7600-19600				
30.	AMBEDKAR WARD	3800-10500	7600-75000	3800-75000	12800-65500	11800-45500	9800-43500	7800-41500	19900-88500	17900-86500	17900-86500	12200-46500	15400-84000	90000000-195000000	90000000-195000000	3700-37500	7600-75000				
31.	SARDAR BHAGAT SINGH WARD	3800-6500	7600-19600	3800-9800	12800-18800	11800-17800	9800-15800	7800-13800	21100-33100	13800-17900	19100-31100	12800-18800	16600-28600	95000000-125000000	95000000-125000000	3800-9800	7600-19600				
32.	INDIRA GANDHI WARD	4400-14000	8800-21600	4400-14000	13400-23000	14500-22000	10400-20000	8400-18000	22300-35100	23000-31000	20300-33100	13400-23000	17800-37000	95000000-125000000	95000000-125000000	4400-14000	8800-28000				
33.	DR. BANMAAT SINGH WARD	600-43500	12000-87000	9300-43500	15000-52500	17300-51500	19000-49500	10000-47500	25500-100500	30100-98500	30100-98500	15000-52500	21000-96000	95000000-125000000	95000000-125000000	6000-43500	12000-87000				

## सतना विकास योजना 2035

Ward No.	Ward Name	PLOT (SQM)					BUILDING RESIDENTIAL (SQM)					BUILDINGS COMMERCIAL (SQM)					BUILDING MULTI (SQM)					Agriculture land Plot (HECTARE/SQM)		
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin shade	Kuccha Kabalu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Sub Clause wise Residential	Sub Clause wise Commercial
34.	CHANDRASEKHAR AZAD WARD	9800-43500	19500-87000	9800-43500	18800-52500	17800-51500	15800-49500	13800-47500	33100-100500	31100-98500	18800-52500	28600-96000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	100000000-200000000	9800-43500	19600-87000
35.	LAL BAHADUR SHASTRI WARD	6000-7500	12000-15000	6000-7500	45000-16500	14000-12000	13900-10000	10000-29500	25500-29500	23500-26500	15000-16500	21000-24000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	6000-7500	12000-15000	
36.	JAI NARAYAN WARD	3800-13000	7600-26000	3800-13000	12800-22000	13400-21000	11400-28500	7800-22500	21100-39500	19100-30700	14400-27500	16600-35000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	3800-13000	7600-26000	
37.	VEERSAWARKER WARD	6600-44000	17000-88000	6600-44000	15600-17500	14800-16500	14500-50000	48000-12500	30500-101500	28500-9500	15600-53000	22200-97000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	100000000-110000000	8500-44000	17000-88000	
38.	MAHATMA GANDHI WARD	4400-16000	8800-21600	4400-16000	13400-23000	14500-22000	10400-20000	8400-18000	22300-35100	20800-33100	13400-23000	17800-37000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	4400-16000	8800-21600	
39.	ACHARY BINOBA BHAVE WARD	3800-6400	7600-12800	3800-6400	12800-15400	11800-14400	9800-12400	7800-10400	2100-26300	19100-24300	12800-15400	16600-21800	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	95000000-100000000	3800-6400	7600-12800	
40.	VISWAS RAO PENTAR WARD	4400-14000	8800-21600	4400-14000	13400-23000	14500-22000	10400-20000	8400-18000	22300-35100	20800-33100	13400-23000	17800-37000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	4400-14000	8800-21600	
41.	SAFIED PADMDHAR WARD	3800-11500	7600-23000	3800-11500	12800-20500	11800-19500	9800-17500	7800-15500	21100-36500	19100-34500	20500-15400	16600-32000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	60000000-60000000	3800-11500	7600-23000	
42.	MAHARANI LAWMIBAI WARD	6500-21500	13000-43000	6500-21500	15900-30500	14500-29500	12500-17500	10500-25500	26500-50500	24500-54500	15500-30500	22000-52000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	125000000-200000000	6500-21500	13000-43000	
43.	THAKAR WAPA WARD	5400-9500	10800-19000	5400-9500	14400-18500	13400-17500	11400-15500	9400-13500	24300-32500	23300-30500	14400-18500	19800-28000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	5400-9500	10800-19000	
44.	JAWAHAR LAL NEHRU WARD	7500-75000	15000-150000	7500-75000	16500-84000	15500-83000	13500-81000	11500-79000	28500-163500	26500-161500	16500-84000	24000-159000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	95000000-95000000	7500-75000	15000-150000	
45.	MALWEEYA WARD	4800-10500	9600-21000	4800-10500	13800-19500	12800-18500	10800-16500	10800-14500	27100-34500	25100-32500	15800-19800	28200-30000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	100000000-100000000	4800-10500	9600-21000	
46.	yard railway station colony																							

स्त्रोत: जिला पंजीयक कार्यालय सतना

### सतना विकास योजना 2035

#### 2.3.1.14 भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से पांच भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन तथा शेष भाग पेडिमेंट, जलाशय, चलित खदान व गलित भूमि में विभाजित किया गया है। यह जानकारी सारणी 2-सा-12 में दर्शाई गई है।

#### भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-12

S. No.	जियोमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	चलित खदान (Active Quarry)	125.86	1.10
2.	गलित भूमि (Gullied Land)	50.79	0.45
3.	पेडिमेंट (Pediment)	981.98	8.61
4.	पेडीप्लेन (Pediplain)	9996.64	87.69
5.	जलाशय (Waterbodies)	244.80	2.15
<b>TOTAL</b>		<b>11400.06</b>	<b>100</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

#### 2.3.1.15 जल स्रोत बफर


जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2-सा-13 में दर्शाई गई है।


#### जल स्रोत बफर क्षेत्रफल


सारणी 2-सा-13

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	15	122.33	26.65
2.	30	115.15	25.08
3.	45	111.76	24.35
4.	60	109.82	23.92
<b>कुल</b>		<b>459.06</b>	<b>100</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण







### सतना विकास योजना 2035

#### 2.3.1.16 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

सतना निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2-सा-14 में दर्शाई गई है।

#### भूमि अवक्रमण

सारणी 2-सा-14

क्र.	भूमि अवक्रमण श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	बैरन रॉकि/स्टोनी वेस्ट (Barren rocky/ Stony waste)	734.91
2.	औद्योगिक प्रवाह प्रभावित क्षेत्र (Industrial-effluent affected areas)	6.71
3.	खनन - सतही/खुली खदानें (Mining - Surface/ opencast mines)	492.96
4.	वॉटर इरोसन - मध्यम (Water erosion - Sheet - Moderate)	160.48
<b>Total</b>		<b>1395.06</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

#### 2.3.1.17 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विभिन्न निवेश इकाईयों को समन्वित करती है। सतना राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं 135-बीजी पर स्थित है जो शहर को सीधी, पन्ना, रीवा, सिंगरौली एवं मैहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जोड़ते हैं। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन मार्गों को सम्मिलित किया गया है, एवं बफर ज़ोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गए हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी सारणी 2-सा-15 में दर्शाई गई है।

#### मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-15

क्र.	मार्ग बफर (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	100	1325.50	24.31
2.	200	1204.60	22.09
3.	500	2923.38	53.60
<b>कुल</b>		<b>5,453.48</b>	<b>100</b>

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

### सतना विकास योजना 2035

#### 2.3.1.18 रेलवे स्टेशन

सतना रेलवे स्टेशन मुम्बई – प्रयागराज लाईन पर स्थित है। यहाँ से रीवा, कटनी, भोपाल, बिलासपुर एवं प्रयागराज के लिये यात्री रेल सेवा मेल एवं पैसेन्जर गाड़ियों द्वारा उपलब्ध है।


#### 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:—

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया, जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। सतना नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस





### सतना विकास योजना 2035

प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा, विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वॉर्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

#### 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2-सा-16 में दिया गया है।

---

 सतना विकास योजना 2035
 

---

### Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2-सा-16

[Model-1]

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	25	Vacant Land	9
2			Agriculture	7
3			Builtup	0
4			Water body	0
5			Green	0
1	GEOMORPHOLOGY	20	Pediplain	9
2			Pediments	7
3			Quarry	5
4			Gullied Land	3
5			Water body	0
1	GROUNDWATER PROSPECTS	10	Moderate to Poor	8
2			Moderate	7
3			Good to Moderate	5
4			Water bodies	0
1	SOIL TEXTURE	05	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	7
3			Fine loamy	6
4			Fine	5
5			Fine Silty	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	10	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-3 %	7

**सतना विकास योजना 2035**

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	<b>LAND VALUE</b>	10	6700 - 50000	9
2			50000 -100000	7
3			100000 - 150000	6
4			150000 - 200000	5
5			200000 - 250000	0
6			250000 - 300000	0

**[Model-2]**

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	<b>LANDUSE</b>	20	Vacant Land	9
2			Agriculture	7
3			Builtup	0
4			Water body	0
5			Green	0
1	<b>GEOMORPHOLOGY</b>	10	Pediplain	9
2			Pediments	7
3			Quarry	5
4			Gullied Land	3
5			Water body	0
1	<b>GROUNDWATER PROSPECTS</b>	10	Moderate to Poor	8
2			Moderate	7
3			Good to Moderate	5
4			Water bodies	0
1	<b>SOIL TEXTURE</b>	05	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	7
3			Fine loamy	6
4			Fine	5
5			FineSilty	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	<b>ROAD BUFFER</b>	15	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3

**सतना विकास योजना 2035**

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	<b>WATER BODIES BUFFER</b>	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	<b>SLOPE</b>	15	0-1 %	9
2			1-3 %	7
1	<b>LAND VALUE</b>	10	6700 - 50000	9
2			50000 - 100000	7
3			100000 - 150000	6
4			150000 - 200000	5
5			200000 - 250000	0
6			250000 - 300000	0

**[Model 3]**

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	<b>LANDUSE</b>	14	Vacant Land	9
2			Agriculture	7
3			Builtup	0
4			Water body	0
5			Green	0
1	<b>GEOMORPHOLOGY</b>	12	Pediplain	9
2			Pediments	7
3			Quarry	5
4			Gullied Land	3
5			Water body	0
1	<b>GROUNDWATER PROSPECTS</b>	12	Moderate to Poor	8
2			Moderate	7
3			Good to Moderate	5
4			Water bodies	0
1	<b>SOIL TEXTURE</b>	12	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	7
3			Fine loamy	6
4			Fine	5

**सतना विकास योजना 2035**

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
5			FineSilty	4
6			Water bodies	0
7			Builtup	0
1	ROAD BUFFER	14	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	12	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	SLOPE	12	0-1 %	9
2			1-3 %	7
1	LAND VALUE	12	6700 - 50000	9
2			50000 - 100000	7
3			100000 - 150000	6
4			150000 - 200000	5
5			200000 - 250000	0
6			250000 - 300000	0

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिबर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का

### सतना विकास योजना 2035

औसत एवं स्तरीय डिविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है। अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 3 श्रेणियों में विभाजित है।

### Land Suitability Area

सारणी 2-सा-17

#### [Model-1]


S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	862.09	7.56
2.	Moderately Suitable	7032.17	61.69
3.	Not Suitable	3505.81	30.75
<b>Grand Total</b>		<b>11400.06</b>	<b>100</b>


#### [Model-2]


S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	412.70	3.62
2.	Moderately Suitable	6687.83	58.66
3.	Not Suitable	4299.53	37.71
<b>Grand Total</b>		<b>11400.06</b>	<b>100</b>

#### [Model-3]

S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	3503.24	30.73
2.	Moderately Suitable	3609.54	31.66
3.	Not Suitable	4287.30	37.61
<b>Grand Total</b>		<b>11400.06</b>	<b>100</b>







**सतना विकास योजना 2035**

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2-सा-15 में दर्शाया गया है। सतना निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम एवं मध्यम उपयुक्त भूमि क्रमशः 862.09 हेक्टेयर, 7032.17 हेक्टेयर (कुल 69.29 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-1] का चयन अंतिम रूप से सतना विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया। यह देखा गया है कि उपयुक्त क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र में अधिकतम उपयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

**2.5 भूमि उपयोग का आवंटन**

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सतना निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

==== सतना विकास योजना 2035 =====

## अध्याय- 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

### 3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आंकलन आवश्यक है वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है ताकी पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है—

- मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना।
- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना। संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध ना होना।
- निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास ना होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास ना होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

### 3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सतना विकास योजना 2021 में नगर की जनसंख्या 4.6 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। विकास योजना 2021 के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण योजना का पुनर्विलोकन आवश्यक समझा गया है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3-सा-1 में दर्शाया गया है।

**सतना विकास योजना 2035**

**विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन  
(विकास योजना 2021 सारणी 2-सा-4 अनुसार)**

**सारणी 3-सा-1**

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)		वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हेक्टेयर में)		उच्चावचन / निम्नावन (+)/(-)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	2361.38	5.13	1633.55	4.08	(-) 727.83	69.18
2.	वाणिज्यिक	278.90	0.61	179.95	0.45	(-) 98.95	64.52
3.	औद्योगिक	298.57	0.65	283.02	0.71	(-) 15.55	94.79
4.	मिश्रित	-	-	106.28	-	(+) 106.28	-
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपगोविताएं एवं सुविधायें	414.21	0.90	264.24	0.66	(-) 136.33	67.09
				13.64	0.03		
6.	आमोद-प्रमोद	312.80	0.68	226.38	0.57	(-) 86.42	72.37
7.	यातायात एवं परिवहन	843.91	1.83	741.45	1.85	(-) 102.46	87.86
<b>योग</b>		<b>4509.77</b>	<b>9.80</b>	<b>3448.51</b>	<b>8.62</b>	<b>1061.26</b>	<b>76.47</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण/विश्लेषण

उपरोक्त सारणी में वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सतना विकास योजना 2021 (सारणी 2-सा-4 अनुसार) में प्रस्तावित विकास हेतु 4509.77 हेक्टेयर भूमि निहित थी। जिसमें से कुल 3448.51 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है जो कि 76.47 प्रतिशत है।

### सतना विकास योजना 2035

#### विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

#### सारणी 3-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)		वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हेक्टेयर में)		उच्चावचन/निम्नावन (+)/(-)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	3327.38	7.23	1633.55	4.08	(-) 1639.83	49.09
2.	वाणिज्यिक	325.14	0.71	179.95	0.45	(-) 145.19	55.34
3.	औद्योगिक	449.78	0.98	283.02	0.71	(-) 166.76	62.93
4.	मिश्रित	-	-	106.28	-	(+) 106.28	-
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें	416.81	0.91	264.24	0.66	(-) 138.93	66.67
				13.64	0.03		
6.	आमोद-प्रमोद	581.98	1.27	226.38	0.57	(-) 355.80	38.90
7.	यातायात एवं परिवहन	943.51	2.05	741.45	1.85	(-) 202.07	78.58
<b>योग</b>		<b>6044.60</b>	<b>13.14</b>	<b>3448.51</b>	<b>8.62</b>	<b>2596.09</b>	<b>57.05</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण/विरलेषण

**टीप:-** विकास योजना 2021 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना 2021 (सारणी 2-सा-4) एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है। इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 57.05 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। औद्योगिक के अलावा अन्य भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 3.03 लाख है। निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2019) 4.00 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 8.62 हेक्टेयर है। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.2.1 आवासीय

विकास योजना 2021 में आवासीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय विकास हेतु निम्न प्रस्ताव दिये गए थे।

1. सतना-पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर-पश्चिम की ओर ग्राम उमरी एवं आमौधा कलां, बगहा।
2. सतना-पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण-पश्चिम की ओर ग्राम अमौधा, महदेवा एवं धवारी।
3. सतना-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर-पूर्व ग्राम कृपालपुर एवं नीवी।
4. सतना-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण-पूर्व में उतैली, डिलौरा, कृपालपुर।

उपरोक्त क्षेत्रों में कुल 3327.38 हेक्टेयर भूमि आवासीय क्षेत्र में विकसित करना प्रस्तावित था, जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 1633.55 हेक्टेयर भूमि का आवासीय विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन 49.09 प्रतिशत है।

#### 3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक विकास आवासीय सेक्टर में प्रस्तावित करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय एवं नगरीय मार्गों से संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 0.71 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के लिये 325.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 179.95 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ। वाणिज्यिक क्षेत्र का अधिकांश विकास प्रमुख मार्गों पर हुआ है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 4 से 6 प्रतिशत भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है।

==== सतना विकास योजना 2035 =====

**वाणिज्यिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन**

**सारणी 3-सा-3**

क्रमांक	विवरण	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
1	थोक एवं विशिष्ट बाजार	निवेश इकाई क्रमांक 3 एवं 4	20.0	अविकसित
2	माल गोदाम एवं शीतगृह	निवेश इकाई क्रमांक 1,2,3 एवं 4	29.0	वर्तमान निर्मित क्षेत्र यथावत शेष आंशिक विकसित
3	<b>मंडियां</b>			
	1- लोहा मंडी	निवेश इकाई क्रमांक 4	6.00	अविकसित
	2- घास मंडी	निवेश इकाई क्रमांक 4	6.74	अविकसित
	3- सब्जी मंडी	निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं 4	7.50	अविकसित वर्तमान गल्ला मण्डी में स्थान्तरित किया गया है
	4- भवन निर्माण सामग्री	निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं 4	15.00	अविकसित
	5- लकड़ी एवं कबाड़ी बाजार	निवेश इकाई क्रमांक 3	13.00	अविकसित
	6- आयल डिपो	निवेश इकाई क्रमांक 2	40.00	वर्तमान क्षेत्र यथावत शेष अविकसित
4	<b>दर्गीकृत बाजार</b>			
	यातायात नगर एवं मैकेनिक बाजार	निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं 3	4.00	वर्तमान यातायात नगर विकसित शेष अविकसित

### सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	विवरण	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
5	फुटकर दुकान			
	1-नगर स्तर पर	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 4	65.0	आंशिक विकसित
	2-निवेश इकाई स्तर पर	प्रत्येक निवेश इकाई में	35.0	आंशिक विकसित
	3-खण्ड स्तर पर	प्रत्येक खण्ड स्तर पर	19.0	आंशिक विकसित
<b>योग-</b>			<b>211.26</b>	

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

### 3.2.3 औद्योगिक

विकास योजना 2021 में सतना निवेश क्षेत्र से बाहर संलग्न ग्राम मटेहना में औद्योगिक विकास निगम सतना द्वारा प्रदूषणकारी एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग प्रस्तावित थे। इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र में वर्तमान बिरला औद्योगिक क्षेत्र एवं यू.सी.एल. के उत्तर में सामान्य उद्योग ग्राम बदखर, घूरडांग, बेला एवं शुक्ला में आरा मिल सिमरिया मार्ग के उत्तर में बदखर में कृषि आधारित उद्योग ग्राम डिलौरा, दुग्ध उद्योग ग्राम सोनौरा में तथा वर्तमान उद्योग क्षेत्र बाधवगढ़ कॉलोनी के पूर्व गहरा नाला के क्षेत्रों में औद्योगिक स्थल प्रस्तावित किया गया था जिसका कुल क्षेत्रफल 449.78 हेक्टेयर है। जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 283.02 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ, जो कि 62.93 प्रतिशत है। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.81 प्रतिशत है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 7 से 9 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**औद्योगिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन**
**सारणी 3-सा-4**

क्रमांक	उद्योग का प्रकार	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	क्रियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
1	सामान्य उद्योग	वर्तमान बिरला एवं यू.सी.एल. के उत्तर में ग्राम बदखर घुरडांग बेला एवं शुक्ला में	—	अविकसित
2	वन आधारित उद्योग	ग्राम बदखर में सेमरिया मार्ग पर	—	अविकसित
3	कृषि आधारित उद्योग	ग्राम डिलौरा	—	अविकसित
4	दुग्ध उद्योग	ग्राम सोनौरा	—	अविकसित

**3.2.4 मिश्रित**

विकास योजना 2021 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु 2019 की स्थिति में 106.28 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग में विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि नगर के विकसित क्षेत्र तथा चारों ओर मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड आवश्यक हैं।

**3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें**

विकास योजना 2021 में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें उपयोग के अंतर्गत 416.81 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 277.88 हेक्टेयर भूमि पर इस उपयोग के अन्तर्गत विकास हुआ है, जो कि 66.67 प्रतिशत है।

**3.2.6 आमोद-प्रमोद**

नगरीय सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2021 में 581.98 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत उद्यान नगर वानिकी तथा वृक्षारोपण आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 226.38 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 38.90 प्रतिशत है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है।

## सतना विकास योजना 2035

## आमोद-प्रमोद क्रियान्वयन

## सारणी 3-सा-5

क्रमांक	मनोरंजन का प्रकार	स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति 2019
1	2	3	4	5
1.	नगर स्तरीय उद्यान	1. आबकारी गोदाम एवं उससे संलग्न बगीचों को मिलाते हुए क्षेत्र 2. ग्राम अमौधा खुर्द में 3. ग्राम अमौधा कला राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न 4. ग्राम कोलगवां में राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न गहरा नाला के पास वर्तमान बगीचे को सम्मिलित करते हुए	3.0 8.0 3.0 4.0	वर्तमान बगीचा विकसित शेष अविकसित अविकसित अविकसित
2.	पिकनिक स्थल	1. ग्राम कृपालपुर में टमस नदी से संलग्न वर्तमान बगीचा एवं माधवगढ़ ऐतिहासिक किले को सम्मिलित करते हुए 2. ग्राम बेलहटा में टमस नदी के मध्य स्थित टापू	— —	अविकसित अविकसित
3.	मेला स्थल	ग्राम घूरडांग में संतोषीमाता मंदिर के पास	4.0	अविकसित
4.	प्रदर्शनी स्थल	वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व एवं गहरा नाला शामिल करते हुए	3.0	अविकसित
5.	खेल परिसर	ग्राम सोनौरा में बेलहटा मार्ग पर	8.0	अविकसित
6.	तरण ताल	1. ग्राम कोलगवां में मैत्री बाग से संलग्न नारायण तालाब में 2. अमौधा खुर्द तालाब 3. अमौधा कला तालाब	— — —	सौन्दर्यीकरण किया गया एवं बोटिंग गतिविधिया संचालित अविकसित अविकसित

## 3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2021 में यातायात एवं परिवहन हेतु 943.51 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 741.45 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 78.58 प्रतिशत है। प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का

**सतना विकास योजना 2035**

15.61 प्रतिशत थी। नगर निगम द्वारा ग्राम कृपालपुर में 20.00 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित मैकेनिक नगर का विकास किया जा चुका है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है।

**यातायात एवं परिवहन क्रियान्वयन**

**सारणी 3-सा-6**

क्र	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	क्रियान्वयन स्थिति-2019
1	2	3	4	5
1.	एम.आर. 1	उत्तरी रिंग रोड से इंजीनियरिंग कॉलोज होकर चित्रकूट मार्ग तक	35.0	क्रियान्वित नहीं
2.	एम.आर. 2	भरजुना मार्ग से पश्चिम की ओर रेल्वे लाइन तक	35.0	क्रियान्वित नहीं
3.	एम.आर. 3	औद्योगिक क्षेत्र से गल्ला मंडी को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग से प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड तक	35.0	क्रियान्वित नहीं
4.	एम.आर. 4	डिलौरा बायपास से प्रस्तावित दुग्ध डेयरी उद्योग बेलहटा मार्ग तक	35.0	क्रियान्वित नहीं
5.	एम.आर. 5	ग्राम उत्तैली बायपास से प्रस्तावित रिंग रोड तक	35.0	क्रियान्वित नहीं
6.	एम.आर. 6	ग्राम उमरी राष्ट्रीय राजमार्ग से महदेवा प्रस्तावित मार्ग तक	30.0	क्रियान्वित नहीं

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना

मार्गों के नेटवर्क को हमेशा नगर नियोजन का आधार माना जाता रहा है। प्रमुख मार्ग एवं आन्तरिक मार्ग, नगरीय यातायात को सुचारू बनाते हैं तथा जल आपूर्ति, विद्युत, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी भौतिक सुविधाएं पहुँचाने में सहायक होते हैं। नगर के भीतर परिभ्रमण मार्ग मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के होते हैं। गली मार्ग भी इन मार्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अनियोजित विकास के कारण नगर के भीतर की गलियाँ बहुत संकरी होती हैं जिसमें गाड़ियों को चला पाना मुश्किल होता है। कुछ स्थानों पर तो गलियाँ इतनी संकरी हैं कि दुपहिया या तीन पहिया वाहनों को लेकर जाना भी कठिन होता है। इसके अतिरिक्त अविकसित चौराहे, वाहन विराम स्थल (पार्किंग), एक-दूसरे से नहीं जुड़े होने के कारण नगर में सुचारू परिभ्रमण में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये वाहनों के कुशल संचालन के लिये मार्ग नेटवर्क की योजना बनायी जानी चाहिये।

### 3.3 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिए किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। सतना विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा, विकास योजना प्रस्ताव के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.4 अधिनियम की धारा 23-क (1) अंतर्गत उपांतरण

##### भूमि उपयोग उपान्तरण

##### सारणी 3-सा-7

क्रमांक	ग्राम	खसरा नं०/नजूल नं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	1. कृपालपुर तहसील रघुराजनगर, जिला - सतना	1338/1	6.836 में से 2. 803	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
योग:-			2.803 हेक्टेयर		

स्रोत:- म०प्र० राजपत्र भाग-1 पृष्ठ कं 7107 दिनांक 16-05-2018

##### भूमि उपयोग उपान्तरण

##### सारणी 3-सा-8

क्रमांक	ग्राम	खसरा नं०/नजूल नं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	1. सोनौरा तहसील रघुराजनगर, जिला - सतना	38/1	6.402	प्रस्तावित वनस्पति उद्यान एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना)
योग:-			6.402 हेक्टेयर		

स्रोत:- म०प्र० राजपत्र भाग-1 पृष्ठ कं 231 दिनांक 17-10-2019

#### 3.5 असंगत भूमि उपयोग

विभिन्न गतिविधियों के पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्ताव सारणी 3-सा-9 में दर्शाए गए हैं।

### सतना विकास योजना 2035

### असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

सारणी 3-सा-9

क्र0	भू-उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग	क्रियान्वयन स्थिति-2019
1	2	3	4	5	6
<b>(अ.) आवासीय</b>					
		आद्यौगिक क्षेत्र में आवासीय बस्ती	निवेश इकाई क्र.3	आमोद-प्रमोद (पार्क)	क्रियान्वित नहीं
<b>(ब.) वाणिज्यिक</b>					
1.	माल गोदाम	गौशाला चौक के समीप	निवेश इकाई क्र.4	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
2.	मांस एवं मछली बाजार	भैंसा खाना, नेहरू मार्केट के सामने	निवेश इकाई क्र. 01 नजीराबाद नाले से संलग्न	मार्ग विस्तार/ वाणिज्यिक	क्रियान्वयन स्थल स्लाटर हाउस निर्मित पूर्णतः चालू नहीं
3.	परिवहन अभिकरण	मध्यक्षेत्र एवं सेमरिया चौक के समीप फैले हुए	यातायात नगर एव पन्ना की ओर मार्ग पर	आवासीय/ वाणिज्यिक	क्रियान्वयन स्थल कुछ यातायात नगर सतना में स्थानांतरित हुए हैं कुछ ग्राथावत हैं
4.	कबाड़ी बाजार	मध्य क्षेत्र, सिन्धी कैम्प एवं सेमरिया चौक	नजीराबाद में मेहर मार्ग के पूर्व में	आवासीय/ वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
5.	आयल डिपो	रेल्वे स्टेशन के पास	निवेश इकाई क्र.2 गाम बगहा	रेल्वे विस्तार	क्रियान्वयन स्थल रेल्वे विभाग का डिपो चालू है शेष बंद किए गए हैं
<b>(स.) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक</b>					
1.	लोक निर्माण विभाग का कार्यालय	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क्र.3 में जेल के पास पूर्व में	एम.एल.बी. स्कूल	क्रियान्वित नहीं
2.	पुराना पॉलिटेक्नीक परिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में सिविल लाईन क्षेत्र	निवेश इकाई क्र.3	वाणिज्यिक/ सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक	क्रियान्वित नहीं
3.	सी.आई.डी. कार्यालय	पन्नीलाल चौक के पास	सिविल लाईन नि. इकाई क्र.2 में	वाणिज्यिक/ आवासीय	नगर निगम द्वारा पार्किंग का उपयोग किया जा रहा है
4.	एम.एल.बी. स्कूल	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क्र. 2 रिक्त होने पर न्यायालय में	वाणिज्यिक/ पार्किंग	क्रियान्वित नहीं
5.	डिग्री महाविद्यालय	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क्र. 3 में प्रस्तावित	आवासीय/ वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं

### सतना विकास योजना 2035

क्र०	भू-उपयोग	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग	क्रियान्वयन स्थिति-2019
1	2	3	4	5	6
			विकास क्षेत्र के बाहर		
6.	सेन्ट माइकल विद्यालय	कोठी तिराहे के पास	अमौधा पन्ना मार्ग	वाणिज्यिक	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण ग्राम अमौधा कला में किया जा चुका है
7.	सी.एम.ए. विद्यालय	रीवा मार्ग पर भरहुत नगर तिराहा	पन्ना मार्ग पर शेरगंज ग्राम में	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
8.	सिंधु विद्यालय	रीवा मार्ग पर पार्क होटल के सामने	ग्राम सोनौरा सरस्वती आवासीय विद्यालय के पास	वाणिज्यिक	ग्राम सोनौरा में भवन का निर्माण किया जा चुका है किंतु विद्यालय वर्तमान स्थल पर संचालित है
9.	बोनान्जा विद्यालय	सिंधु विद्यालय के समीप	-तदैव-	आवासीय	ग्राम बदखर में विद्यालय संचालित किया जा रहा है
10.	काईस्ट ज्योति विद्यालय	बस स्टैण्ड के पास रीवा मार्ग पर	-तदैव-	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
<b>(द) औद्योगिक</b>					
1.	धातु-उद्योग	सिंधी कैम्प एवं सेमरिया चौक के समीप विरला मार्ग	निवेश इकाई कं. 2	आवासीय/वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
2.	आरा मशीन	नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए रीवा मार्ग कंवर राम मार्ग पर	निवेश इकाई कं. 2 बदखर	आवासीय/वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं

## 3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

### 3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण

सतना नगर मध्यप्रदेश राज्य के रीवा संभाग का एक जिला मुख्यालय होने से सतना के निकटस्थ छः अन्य जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण सारणी 3-सा-10 में दर्शाया गया है।

**सतना विकास योजना 2035**

**राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात**

सारणी 3-सा-10

क्र.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या-2011	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश (राज्य)	72626809	37612306	35014503	931
2.	रीवा	2365106	1225100	1140006	931
3.	<b>सतना</b>	<b>2228935</b>	<b>1157495</b>	<b>1071440</b>	<b>928</b>
4.	सिंगरौली	1178273	613637	564636	921
5.	सीधी	1127033	575912	551121	957
6.	शहडोल	1066063	540021	526042	975
7.	अनूपपुर	749237	379114	370123	977
8.	उमरिया	644758	330674	314084	950

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है के, मध्य-प्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंग-अनुपात 1000 से कम है एवं उपरोक्त जिलों में सबसे कम, रीवा एवं सबसे अधिक अनूपपुर जिले में है।

सतना जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2228935 थी। सतना नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0-6 वर्ष के बालक-बालिका) की जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3-सा-11 में दिए गए हैं।

सतना विकास योजना 2035

## वॉर्ड वार कुल जनसंख्या

सारणी 3-सा-11

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6301	3279	3022	423	447	870	1103	1047	2150	204	225	429	2427	1783	4210
2	10109	5337	4772	610	516	1126	253	232	485	89	64	153	4525	3584	8109
3	4977	2608	2369	370	309	679	546	503	1049	11	12	23	1941	1449	3390
4	5119	2722	2397	289	225	514	291	275	566	94	76	170	2303	1905	4208
5	4908	2575	2333	288	214	502	46	48	94	17	10	27	2168	1849	4017
6	6129	3205	2924	325	276	601	124	124	248	8	7	15	2762	2370	5132
7	5925	3107	2818	313	250	563	203	161	364	82	59	141	2679	2353	5032
8	5887	3061	2826	357	289	646	66	102	168	84	89	173	2521	2179	4700
9	8140	4323	3817	561	463	1024	262	298	560	237	219	456	3313	2538	5851
10	8422	4513	3909	515	405	920	411	363	774	194	179	373	3653	2714	6367
11	6076	3290	2786	420	351	771	574	542	1116	239	221	460	2599	1887	4486
12	6874	3766	3108	574	505	1079	1030	959	1989	408	326	734	2588	1623	4211
13	6218	3288	2930	398	348	746	460	399	859	33	30	63	2607	2051	4658
14	3981	2120	1861	280	257	537	345	318	663	141	128	269	1430	976	2406
15	10006	5320	4686	683	574	1257	1074	922	1996	278	243	521	4146	3009	7155
16	4787	2477	2310	371	361	732	796	753	1549	215	217	432	1707	1174	2881

## सतना विकास योजना 2035

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literate		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	5455	3483	1972	273	259	532	855	629	1484	160	39	199	2644	1223	3867
18	8839	4710	4129	589	550	1139	391	357	748	123	113	236	3751	2611	6362
19	5442	2814	2628	406	388	794	825	815	1640	260	247	507	2042	1601	3643
20	6013	3115	2898	313	293	606	74	80	154	7	6	13	2674	2303	4977
21	5543	2885	2658	266	264	530	115	105	220	30	26	56	2475	2109	4584
22	7150	3949	3201	451	444	895	658	643	1301	195	190	385	3112	2107	5219
23	8912	4668	4244	568	538	1106	780	742	1522	191	175	366	3625	2885	6510
24	4522	2351	2171	254	220	474	38	34	72	5	7	12	2003	1690	3693
25	4167	2125	2042	205	212	417	102	104	206	31	27	58	1772	1518	3290
26	4726	2425	2301	268	246	514	147	150	297	203	204	407	1918	1661	3579
27	6010	3148	2862	357	285	642	482	423	905	39	31	70	2563	2218	4781
28	5035	2598	2437	310	297	607	1418	1315	2733	21	16	37	1994	1545	3539
29	6064	3174	2890	355	309	664	654	622	1276	6	4	10	2600	2053	4653
30	9367	4909	4458	562	510	1072	822	716	1538	424	388	812	3953	3113	7066
31	7301	3749	3552	424	382	806	451	477	928	247	245	492	3036	2563	5599
32	6767	3540	3227	423	374	797	809	764	1573	56	32	88	2879	2264	5143
33	7715	4030	3685	471	388	859	167	151	318	36	39	75	3314	2689	6003
34	4304	2268	2036	223	174	397	59	56	115	10	5	15	1997	1734	3731
35	5870	3131	2739	393	329	722	32	23	55	4	5	9	2442	1934	4376

सतना विकास योजना 2035

Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	4695	2364	2331	256	268	524	309	287	596	132	159	291	1837	1576	3413
37	9996	5218	4778	651	603	1254	187	185	372	210	205	415	3904	3093	6997
38	6256	3238	3018	398	341	739	1037	975	2012	66	63	129	2546	2069	4615
39	5401	2793	2608	277	263	540	678	616	1294	13	15	28	2303	1899	4202
40	3595	1876	1719	184	162	346	10	14	24	2	4	6	1631	1440	3071
41	4826	2512	2314	242	203	445	30	31	61	2	3	5	2193	1943	4136
42	5086	2738	2348	342	245	587	206	181	387	29	18	47	2089	1678	3767
43	6234	3246	2988	465	388	853	853	749	1602	61	55	116	2292	1803	4095
44	5181	2704	2477	338	319	657	195	200	395	15	11	26	2048	1602	3650
45	5891	3122	2769	354	335	689	271	249	520	18	14	32	2534	1917	4451
46	2755	1541	1214	423	447	870	162	157	319	73	54	127	1288	857	2145
<b>TOTAL</b>	<b>282977</b>	<b>149415</b>	<b>133562</b>	<b>17818</b>	<b>15826</b>	<b>33644</b>	<b>20401</b>	<b>18896</b>	<b>39297</b>	<b>5003</b>	<b>4505</b>	<b>9508</b>	<b>118828</b>	<b>93142</b>	<b>211970</b>

स्त्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात

सतना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 में लिंगानुपात 900 से अधिक है। वार्ड क्रमांक 17, 46 में लिंगानुपात 800 से भी कम है तथा 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 34, 35, 42, 45 में लिंगानुपात 800 से 900 के बीच है। जिसका विवरण सारणी 3-सा-12 में दिया गया है।

#### वार्ड जनसंख्या लिंगानुपात

#### सारणी 3-सा-12


क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>950	25, 36	29
2.	901- 950	1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44	15
3.	851 – 900	42, 10, 35, 18, 14, 4, 15, 9, 45, 13, 2, 34	12
4.	801-850	22, 12, 11	3
5.	<800	17, 46	2
		<b>योग</b>	<b>46</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

#### 3.6.3 शिशु जनसंख्या

सतना शहर का लिंग अनुपात 986 है, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 1056 है। सतना में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक-1, 25, 36 में सबसे अधिक प्राप्त हुई है जबकि वार्ड क्रमांक-4, 5, 7, 10, 27, 34, 42 के अन्तर्गत शिशु जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुई है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-13 में दिया गया है।





## सतना विकास योजना 2035

## शिशु जनसंख्या

## सारणी 3-सा-13

क्र.	शिशु जनसंख्या (0-6) लिंगानुपात	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>1000	1, 25, 36	3
2.	901-1000	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37, 39, 44, 45	17
3.	801-900	2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 24, 29, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 46	19
4.	701-800	4, 5, 7, 10, 27, 34, 42	7
<b>योग</b>			<b>46</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## 3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

सतना ज़िले में अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुक्रम में 17.24 प्रतिशत है। उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक-28 में उक्त श्रेणी की जनसंख्या 55 प्रतिशत से अधिक है एवं वार्ड क्रमांक-2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45 की जनसंख्या प्रतिशत 11 से भी कम है। अनुसूचित जाति-जनजाति का विवरण सारणी 3-सा-14 में दिया गया है।

## अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

## सारणी 3-सा-14

क्र.	अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1.	2	3	4
1.	> 50	28	1
2.	31-50	1, 12, 16, 19, 38	5
3.	11-30	3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 43, 46	22
4.	<11	2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45	18
<b>योग</b>			<b>46</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.6.5 साक्षरता

सतना नगर निगम क्षेत्र में साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। शहर के वार्ड क्रमांक 1, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 28, 37, 43, 44 में साक्षरता दर सबसे कम है एवं वार्ड क्रमांक- 34, 40, 41 में अधिक पायी गई है। साक्षरता का विवरण सारणी 3-सा-15 में दिया गया है।

#### साक्षरता प्रतिशत

#### सारणी 3-सा-15


क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	> 85	34, 40, 41	3
2.	71-85	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46	32
3.	60-70	1, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 28, 37, 43, 44	11
योग			46

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011


#### 3.6.6 कार्यशील जनसंख्या


सतना नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक- 12, 16, 17, 19, 21, 39, 43 एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक-2, 9, 13, 15, 22, 30, 45, 46 में जानकारी प्राप्त हुई है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी निम्नानुसार है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3-सा-16 में दर्शाया गया है।





**Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal**





---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**सतना कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011**
**सारणी 3-सा-16**

क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>40	17	1
2.	36-40	12, 16, 19, 21, 39, 43	6
3.	30-35	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44	31
4.	>30	2, 9, 13, 15, 22, 30, 45, 46	8
<b>योग</b>			<b>46</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

**3.6.7 जनसंख्या घनत्व**


सतना निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढलान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण आवासीय घनत्व मध्यम है। शहर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-17 में दिया गया है।

## सतना विकास योजना 2035

## जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा-17

क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या वर्ष 2011	घनत्व
1	2	3	4	5	2
1.	1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	322.57	6301	19.53
2.	2	अर्जुन वार्ड	129.90	10109	77.82
3.	3	छत्रसाल वार्ड	159.33	4977	31.24
4.	4	लोकमान्य तिलक वार्ड	301.30	5119	16.99
5.	5	स्वामी पुर्णानंद वार्ड	34.25	4908	143.29
6.	6	सरोजनी नायडू वार्ड	60.10	6129	101.97
7.	7	वृंदावन वार्ड	69.91	5925	84.75
8.	8	रवीन्द्रनाथ ठाकुर वार्ड	24.87	5887	236.75
9.	9	सिध्दार्थ वार्ड	120.87	8140	67.34
10.	10	आचार्य नरेन्द्रदेव वार्ड	475.02	8422	17.73
11.	11	महावीर वार्ड	185.67	6076	32.73
12.	12	अब्दुल कलाम आजाद वार्ड	359.27	6874	19.13
13.	13	रविशंकर शुक्ल वार्ड	99.01	6218	62.80
14.	14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	135.36	3981	29.41
15.	15	आचार्य विनोबा भावे वार्ड	80.52	10006	124.27
16.	16	शहीद पद्मधर वार्ड	465.57	4787	10.28
17.	17	जगजीवन राम वार्ड	508.93	5455	10.72
18.	18	संजय गांधी वार्ड	77.82	8839	113.59
19.	19	लाला लाजपत राय वार्ड	57.73	5442	94.26
20.	20	सरदार पटेल वार्ड	37.08	6013	162.18
21.	21	संत कंवर राम वार्ड	41.34	5543	134.08
22.	22	शिवाजी वार्ड	252.25	7150	28.35
23.	23	राजीव गांधी वार्ड	80.66	8912	110.49
24.	24	अशोक वार्ड	27.28	4522	165.75
25.	25	तुलसीराम थापा वार्ड	33.60	4167	124.03
26.	26	नेताजी सुभाष वार्ड	46.28	4726	102.11
27.	27	स्वामी विवेकानंद वार्ड	69.24	6010	86.80
28.	28	पुरुषोत्तम दास टण्डन वार्ड	18.99	5035	265.19
29.	29	रफीक अहमद किदवई वार्ड	50.69	6064	119.62
30.	30	डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड	388.42	9367	24.12
31.	31	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	52.98	7301	137.81



106

### सतना विकास योजना 2035

क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या वर्ष 2011	घनत्व
1	2	3	4	5	2
32.	32	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड	155.50	6767	43.52
33.	33	सरदार भगत सिंह वार्ड	123.88	7715	62.28
34.	34	इंदिरा गांधी वार्ड	91.81	4304	46.88
35.	35	ठाकुर रणमत सिंह वार्ड	79.97	5870	73.40
36.	36	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	15.13	4695	310.24
37.	37	जयप्रकाश नारायण वार्ड	755.00	9996	13.24
38.	38	वीर सावरकर वार्ड	26.95	6256	232.11
39.	39	महात्मा गांधी वार्ड	19.60	5401	275.52
40.	40	विश्वासराव पेंटर वार्ड	17.22	3595	208.75
41.	41	महाराणा प्रताप वार्ड	22.14	4826	217.97
42.	42	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	27.42	5086	185.46
43.	43	ठक्कर बापा वार्ड	92.06	6234	67.71
44.	44	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	35.45	5181	146.16
45.	45	मालवीय वार्ड	32.67	5891	180.31
46.	46	यार्ड एरिया रेल्वे कालोनी वार्ड	112.85	2755	24.41
योग:-			<b>6374.48</b>	<b>282977</b>	-
47.	00	हवाई पट्टी परिक्षेत्र	46.90	-	-
कुल योग:-			<b>6421.38</b>	<b>282977</b>	-

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम सतना (म.प्र.)

### 3.6.8 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सतना नगर में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 332.40 थी। व्यवसायिक संरचना का विवरण सारणी 3-सा-18 में दिया गया है।

══════ सतना विकास योजना 2035 ══════

व्यवसायिक संरचना 2011

सारणी 3-सा-18

क्र.	श्रेणी/वर्ग	क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1	2	3	4	5
1.	कृषक	3867	3.83	12.74
2.	खेतीहर मजदूर	5306	5.26	17.48
3.	गृह उद्योग	6902	6.84	22.74
4.	अन्य मजदूर	84831	84.07	279.45
	<b>योग</b>	<b>100906</b>	<b>100</b>	<b>332.40</b>

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन

- सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में सतना नगर एवं सम्मिलित ग्रामों को भी शामिल किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-19 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी-3-सा-19


जनसंख्या (2011)		योग
नगर निगम क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जनसंख्या निवेश क्षेत्र
1	2	3
282977	19782	302759

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का आंकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में भी असमानता होती है।

- नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न-भिन्न कारणों से होता है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3-सा-20 में दर्शायी गयी है।



---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर**

सारणी-3-सा-20

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	1951	20183	—
2.	1961	38046	80.51
3.	1971	57531	51.21
4.	1981	90476	57.26
5.	1991	156630	73.12
6.	2001	229307	46.40
7.	2011	282977	23.41

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सतना नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 में 80.51 प्रतिशत रही। 1971 से 1981 तक मध्यम रही, जबकि वर्ष 1991 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 73.12 प्रतिशत तक पाई गई जो घटकर वर्ष 2001 में 46.40 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में पुनः घटकर 23.41 प्रतिशत तक रह गई।

- **ग्रामीण जनसंख्या परिवर्तन**  
ग्रामीण क्षेत्र की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3-सा-21 में दर्शायी गयी है।

**ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर**

सारणी- 3-सा-21

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	2001	16639	—
2.	2011	19782	18.89

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 18.89 प्रतिशत रही।

**3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप**

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का

### सतना विकास योजना 2035

निर्धारण किया जा सकता है। इस परिवेश में सतना नगर के वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. सतना नगर में एवं आसपास सीमेंट उत्पादन उद्योग।
2. जिला स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना।
3. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास।
5. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास।
6. औद्योगिक विकास।
7. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन।

### 3.8 नगरीय विस्तार

सतना निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकासक्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3-सा-22 में स्पष्ट है।


#### नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

#### सारणी 3-सा-22

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे. में.)
1	2	3
1.	2001 तक	1467.94
2.	2001-2011	1935.91
3.	2011-2016	2583.44

नगरीय विस्तार के मानचित्र एवं सारणी के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :

- वर्ष 2001 तक नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः सतना रेल्व स्टेशन एवं नगर के मध्य क्षेत्र एवं सिंधी कैंप के आस-पास के क्षेत्र में केन्द्रित थी।
- वर्ष 2001 से 2016 तक नगरीय विस्तार मुख्य मार्ग रीवा, पन्ना, मैहर, चित्रकूट एवं बायपास मार्ग पर एवं संलग्न क्षेत्रों में हुआ है।



## सतना विकास योजना 2035

### 3.9 अनुमानित जनसंख्या

#### 3.9.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। सतना नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। सतना नगर में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021, 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आंकलन विभिन्न गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-23 में दर्शाया गया है।

#### नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-23

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035
1	2	3	4	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	333937	392059	417313
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	326776	370575	388095
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	416978	614435	717498
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	349209	430942	468762

#### 3.9.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सतना निवेश क्षेत्र में वर्ष 1991 की ग्रामीण जनसंख्या के अभाव में वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आंकलन करने हेतु, वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन निम्न चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-24 में दर्शाया गया है।

#### ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-24

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035
1	2	3	4	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	31850	46095	52403
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	29673	26068	27325
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	23791	28614	30806
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	23519	27961	29965

### सतना विकास योजना 2035


#### 3.9.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

#### सतना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3-सा-25

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	469716
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	415420
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	748304
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	498727

सतना विकास योजना-2035 की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से ज्यामितिय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 7,48,304 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 4,15,420 अनुमानित की गई है।



सतना निवेश क्षेत्र की वृद्धि दर तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सभी पद्धतियों से प्राप्त जनसंख्या का औसत 5,33,042 मानते हुये वर्ष 2035 हेतु अनुमानित जनसंख्या **5.50 लाख** श्रेयस्कर होगा।

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.10 गंदी बस्तियाँ

मूलभूत नियम सेवा-सुविधाओं रहित क्षेत्र जहाँ पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर में 53 बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया। इन बस्तियों में 14151 आवासों में 55289 निवासी पाए गए। गंदी बस्तियों की जानकारी सारणी 3-सा-26 में दी गई है।

#### गंदी बस्तियाँ

#### सारणी 3-सा-26

क्र.	वॉर्ड क्र.	गंदी बस्ती का नाम	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	5	6
1.	1	आदिवासी बस्ती अमौधा कला	121	450
2.	1	अमौधा नई बस्ती	287	1118
3.	1	अमौधा कला	287	1249
4.	1	टपरा बस्ती अमौधा कला	71	297
5.	2	अहीर टोला	120	558
6.	3	गढ़ीया टोला बगहा	276	1031
7.	3	मंदाकनी कॉलोनी गढ़ीया टोला	56	272
8.	3	हरिजन बस्ती बगहा	294	1405
9.	4	मटेहना बगहा	65	222
10.	4	पौरानीक टोला	68	256
11.	5	मुखियायारगंज	82	301
12.	8	कोलगवां	252	1008
13.	9	महुआ बस्ती, सिद्धार्थनगर	537	2178
14.	10	शुक्ला बस्ती-1	68	249
15.	10	शुक्ला बस्ती-2	44	134
16.	10	शुक्ला बस्ती-3	88	161
17.	12	बदखर बस्ती	604	2171
18.	12	हरिजनबस्ती बदखर	61	300
19.	12	टपरिया बस्ती	1123	4095
20.	13	बसोर बस्ती सिंधी कैंप-2	260	1114
21.	14	डोंगरी बस्ती	158	268
22.	15	हनुमान नगर आदिवस्ती	337	1017
23.	15	हनुमान नगर हरिजन बस्ती	693	3035
24.	16	हरिजन बस्ती कृपालपुर	281	1044

### सतना विकास योजना 2035

क्र.	वॉर्ड क्र.	गंदी बस्ती का नाम	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1	2	3	5	6
25.	16	पुरोनिया	310	608
26.	17	राजीव नगर	214	784
27.	19	गहरा नाला, सिंधी कैंप	394	1153
28.	22	नारायण तालाब बसोर बस्ती	181	732
29.	22	हरीजन बस्ती उतैली बायपास रोड	233	823
30.	23	आदर्श नगर पश्चिम हवाई पट्टी	124	492
31.	23	कृष्णनगर सरस्वती स्कूल के पीछे	247	905
32.	23	संग्राम कॉलोनी	285	1125
33.	26	पुष्पराज कॉलोनी पंप हाउस के पास	88	440
34.	27	इंकम टैक्स, पत्थर वाली बस्ती	77	331
35.	27	राजेन्द्र नगर	209	816
36.	28	खूंथी	390	1480
37.	29	खूंथी	389	1480
38.	30	आकाश गंगा नगरपालिका बाइपास गतोपी	170	668
39.	30	महादेवा	170	600
40.	31	कोलान बस्ती धवारी	322	1360
41.	32	चंदमारी, धवारी गली नं. 1	360	1314
42.	32	हरिजन बस्ती, धवारी	182	656
43.	35	उचवा टोला	95	495
44.	36	कमता टोला	284	1198
45.	36	रामना टोला	646	1841
46.	36	डिलौरा कुलान बस्ती	779	3388
47.	37	नजीराबाद कुलान बस्ती	103	416
48.	37	उचवा टोला कुलान बस्ती	76	250
49.	38	बजरहा टोला	550	2663
50.	39	अहिरान टोला	377	1747
51.	42	कबाड़ी टोला	210	821
52.	43	नई बस्ती हवाई पट्टी	583	2340
53.	44	बंस नाका	99	404
<b>योग</b>			<b>14151</b>	<b>55289</b>

स्रोत: नगर निगम सतना

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

### 3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 56595 परिवार 55379 आवासों में निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का आकार 5.20 व्यक्ति आता है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 1,216 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है। इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगरपालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 14151 झुग्गी-झोपड़ियाँ, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गईं। जिसमें से 70 प्रतिशत पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। इसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3-सा-27 में दर्शित है।

#### आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011)

सारणी 3-सा-27

क्र.	विवरण	कुल संख्या	पुनर्स्थापना का प्रतिशत	आवास इकाईयों की कमी
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2011 में कमी	-	-	1,216
2.	कच्चे मकान	4154	80	3323
3.	झुग्गी झोपड़ियाँ	14151	70	9906
<b>योग</b>				<b>14445</b>

स्रोत:- नगर पालिक निगम सतना / नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आंकलन के अनुसार सतना नगर में 2011 में लगभग कुल 14445 आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.50 लाख के लिए परिवार आकार 5.00 व्यक्ति के आधार पर आवासीय इकाईयों का अनुमान लगाया गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-28 में दर्शाया गया है।

**सतना विकास योजना 2035**

**अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ**

सारणी 3-सा-28

क्र.	विवरण	2011	2035 (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	जनसंख्या	302759	550000
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	—	247241
3.	औसत परिवार का आकार	5.20	5.00
4.	वर्ष 2035 में अतिरिक्त परिवार	—	49448
5.	वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता	14445	63893
6.	वर्ष 2011 से 2019 में निर्मित अतिरिक्त आवासों को घटाकर आवास आवश्यकता	8640	55253
<b>कुल आवास आवश्यकता</b>		<b>55253</b>	

स्रोत:- नगर पालिक निगम सतना एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.20 है। अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 5.00 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 55253 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।
2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुनर्उपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

### सतना विकास योजना 2035

#### 3.11.1 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 55253 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिपेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जाए। अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण सारणी 3-सा-29 में दिया गया है।

#### आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

सारणी 3-सा-29

क्र.	आय समूह	आवास आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4
1.	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	40	22101
2.	निम्न आय वर्ग	30	16576
3.	मध्यम आय वर्ग	25	13813
4.	उच्च आय वर्ग	5	2763
योग		100	55253

उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 60 आवासीय इकाई प्रति हे. के मान से लगभग 920.88 हे. भूमि की आवश्यकता होगी।

#### 3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सतना निवेश क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 332.40 थी। वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है। इस संबंध में पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है। तथापि उपलब्ध आँकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 345 व्यक्ति कार्यरत होंगे।

#### 3.13 भैतिक अधोसंरचना

##### 3.13.1 जल प्रदाय

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की, जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में, यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में, जहां जल प्रदाय व्यवस्था अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो, वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता जल प्रदाय की आधारभूत, आवश्यकता, निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135

### सतना विकास योजना 2035

लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय, ऐसे सभी निवासों के लिये, जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

टमस नदी सतना से 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जो नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहां से कोलगंवा में स्थित दो जल उपचार संयंत्र द्वारा उपचारित जल नगर में पाईप लाईन द्वारा प्रदान किया जाता है। नगर में ट्यूबवेलों की संख्या 367 है, तथा कुल 45 वॉर्डों में 18 शिरोपरी टंकियाँ हैं। नगर निगम में 3300 कनेक्शन के द्वारा 35 एम.एल.डी. जल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नगर में 1285 हैण्डपम्प हैं, जिनके माध्यम से नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति होती है।

नगर में स्थित गहरा नाला, खेरमाई नाला से वर्षा जल प्रवाहित होकर नदी में मिलकर बह जाता है। इनमें स्टाप डेम बनाकर एवं तालाबों का गहरीकरण कर जल संग्रहण करने तथा प्रचलित प्रणालियों से वर्षा पानी की हार्वेस्टिंग करना आवश्यक होगा। जिससे जल संरक्षण कर भूमि जल स्तर को बढ़ाया जा सके।


#### 3.13.2 जल-मल निकास एवं स्वच्छता


वर्तमान में जल-मल नगर में प्रतिदिन 42 एम. एल. डी. जल-मल निकास होता है, जिसके उपचार हेतु 3 दूषित जल उपचार संयंत्र कृपालपुर, धवारी और नजीराबाद में हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 11, 15, 16 एम. एल. डी. है। उपचारित जल का निपटारा नाले एवं खुले मैदान में किया जाता है। नगर में सभी आवासों में सेप्टिक टैंक है। इनके अतिरिक्त नगर में 20 सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जिनमें से 14 पे एंड यूज की तर्ज पर संचालित हैं।


सतना नगर में जल-मल निकास हेतु भूमिगत नालियों की व्यवस्था नहीं है। बस्तियों का पानी खुली नालियों से बहकर खेरमाई नाला एवं गहरा नाला से प्रवाहित होकर सतना नदी में मिलता है। जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित होता है। योजनाकाल तथा वर्तमान जनसंख्या हेतु भूमिगत जल-मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु अतिरिक्त जल-मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जल स्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

शहर में जल-मल निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:

1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों/भवनों में शौचालय।
2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
3. शुद्धिकृत गंदे पानी का पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सःशुल्क शौचालय।
5. नगर में एकत्रित मल का उपयोग शोधन विधि से उपचार उपरान्त खाद के रूप में कृषि कार्य हेतु किया जाना।







### सतना विकास योजना 2035

#### 3.13.3 वर्षा जल निकासी

सतना शहर में औसतन वार्षिक वर्षा 1092.11 मी.मी. होती है, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ नालियों/नालों से होता हुआ सतना व टमस नदी में मिल जाता है। जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा-कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस-पास का क्षेत्र जलमग्न होने से सेमरिया चौक भरहुत नगर बम्हनगवां आदि में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई, तथा प्राकृतिक नालों के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है।

#### 3.13.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में सतना नगर में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा टोन्स पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, अमरकंटक विद्युत केन्द्र एवं बिरसिंगपुर पाली पावर प्लांट आदि स्थानों से 33 के.वी. 11 के.वी. व एल.टी. लाईन द्वारा क्रमशः 70 कि.मी. 180 कि.मी. व 1425 कि.मी. लंबी विद्युत लाइन से आपूर्ति की जाती है। इसके बावजूद भी वर्तमान स्थिति में विद्युत की कमी बनी रहती है जिसके लिए आपूर्ति में वृद्धि एवं सुधार की आवश्यकता है। सारणी 3-सा-30 में क्षेत्र की विद्युत खपत दर्शाई गई है।

#### विद्युत खपत

सारणी 3-सा-30

प्रकार	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
विद्युत कनेक्शन	61355	12115	1023	765	350	75608
विद्युत खपत (KWH)	101.91	28.24	10.55	—	0.89	19200.48

स्रोत: मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सतना

#### 3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट एक अवांछित पदार्थ है, जो रहवासी क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं व्यापार केन्द्रों, कृषि, उद्योगों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। नगर में आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की वृद्धि एवं विकास होने से ठोस अपशिष्ट का नगर के

### सतना विकास योजना 2035

विभिन्न खुले क्षेत्रों में निस्तारण कर दिया जाता है, जो पर्यावरण एवं नगरवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

सतना शहर से निकलने वाले कचरों को नगर पालिका की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) टिपर तथा कन्टेनर द्वारा यत्र-तत्र फैले हुए कचरे को संकलित कर हवाई पट्टी के दक्षिणी एवं उत्तरी भाग में खुले क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। कचरा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्थल जैसे- अस्पताल, नर्सिंग होम, जगतदेव मंदिर में चढ़ाये गये फूल-पत्ती किराना बाजार एवं सब्जी बाजार आदि क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्रतिदिन कचरा निकलता है जिसको उठाने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। इसके लिए तत्काल सक्षम प्रबंधन तंत्र स्थापना करने की आवश्यकता है। साथ ही कम्पोस्ट खाद तैयार करने की व्यवस्था भी आवश्यक है। वर्तमान में केचुआ पद्धति से वर्मीकल्चर तैयार किया जा सकता है ताकि नगर से संकलित ठोस अपशिष्टों का निस्तारण हो सके। इसी प्रकार अस्पताल एवं नर्सिंग होम इत्यादि से उत्पन्न होने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निवेश क्षेत्र से बाहर ग्राम रेवरा में शासन की ओर से 40.0 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है जिसका यथाशीघ्र विकास किया जाना प्रस्तावित है।

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के प्रबंधन और हथालन नियम 2016 के द्वारा नियंत्रित होगा।


### 3.14 सामाजिक अधोसंरचना

#### 3.14.1 शासकीय कार्यालय

सतना, रीवा संभाग का महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय होने से यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला आबकारी कार्यालय एवं अन्य समस्त विभागों के जिला कार्यालय शहर में स्थापित हैं।

#### 3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

सतना नगर के मध्य क्षेत्र में जिला चिकित्सालय कार्यरत है। नगर के भावी जनसंख्या के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह चिकित्सालय परिसर के पास पर्याप्त स्थल उपस्थित नहीं है अतः सर्व सुविधायुक्त एवं आधुनिक उपकरणों के परिपूर्ण ग्राम धवारी महदेवा में प्रस्तावित वृत्त मार्ग के उत्तर में 20.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त नगर में 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 48 चिकित्सक व 86 नर्स कार्यरत हैं। नगर में कुल 53 नर्सिंग होम में 1064 बिस्तर उपलब्ध हैं। 194 नर्स एवं 33 पैराचिकित्सीय कर्मचारी इनमें कार्य संपादित करते हैं।



### सतना विकास योजना 2035

#### 3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं गहरा नाला के समीप स्थित शासकीय डिग्री कॉलेज के पास पर्याप्त स्थल उपलब्ध है, किन्तु शासकीय इन्दिरा गॉंधी महाविद्यालय, वाणिज्यिक महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, सिन्धु कन्या महाविद्यालय, डी.एस. महाविद्यालय, रानी दुर्गावती महाविद्यालय आदि संचालित हैं, जिनके पास इस उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप स्थल उपलब्ध नहीं है। अतः शासकीय महाविद्यालय को गहरा नाला स्थित महाविद्यालय में समाविष्ट कर उक्त रिक्त स्थाना को शासकीय इन्दिरा गॉंधी महाविद्यालय परिसर में सम्मिलित करते हुए सर्व सुविधायुक्त आधुनिक शैक्षणिक संस्थान का प्रस्ताव दिया गया है तथा नगर विभिन्न असुविधाजनक स्थानों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को वर्तमान विकसित क्षेत्र के बाहर स्थानांतरण करना प्रस्तावित है। एम.एल.बी. स्कूल स्टेशन मार्ग पर वाणिज्यिक मध्यवर्ती भीड़-भाड़ युक्त क्षेत्र में स्थित है, को शासकीय इन्दिरा गॉंधी महाविद्यालय भवन के रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

सतना नगर में उच्च स्तरीय शासकीय तकनीकी महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय के अभाव है। समय समय पर प्रतिभावान छात्रों की असुविधाओं एवं आर्थिक मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए प्रबुद्ध नगरवासियों उक्त महाविद्यालयों की मांग की जा रही है अतः भावी विकास की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी के उत्तर-पश्चिम की ओर बिरला विकास स्टेडियम के पूर्व उक्त दोनों शासकीय महाविद्यालय प्रस्तावित है।

वर्तमान में सतना निवेश क्षेत्र में 168 आंगनवाडी, 357 प्राइमरी स्कूल, 124 मिडिल स्कूल, 22 हाई स्कूल, 21 हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं 06 कॉलेज है।

#### 3.14.4 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान

वर्तमान विकसित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कब्रिस्तान एवं शमशानघाट को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है। जब तक कि जनसामान्य की मांग पर उचित कारण से अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्थिति न बनें। कब्रिस्तान/शमशानघाट के समीपस्थ शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है। नये कब्रिस्तान/शमशानघाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे। इनके स्थल का चयन जनसामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

#### 3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु 2 लाख जनसंख्या पर एक फायर स्टेशन आवश्यक होता है। प्रति अग्निशमन स्टेशन हेतु 1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति के समय अग्निशमन प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस हेतु इनके आवास भी इसी स्थान पर उपलब्ध हो सके। अग्निशमन हेतु स्थापित केन्द्र एवं उपकेन्द्र ऐसे स्थानों पर नियोजित होना चाहिए, जहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र अग्निशमन वाहन अग्नि दुर्घटना के समय अपने गंतव्य तक पहुँच सके। वर्तमान में नगर

### सतना विकास योजना 2035

निगम सतना के पास एक अग्निशमन स्टेशन है, जिसमें 05 अग्निशमन वाहन व 26 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर निगम के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं कार्यशील बनाना प्रस्तावित है। भावी औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इसका आधुनिक उपकरणों के साथ अन्य स्थलों पर भी विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.14.6 क्रीडांगन/खेल परिसर

वर्तमान में नगर में 3 खेल परिसर उपलब्ध है, उसमें से दो धवारी एवं एक बिरला विकास के अधीनस्थ सेमरिया मार्ग पर स्थित है, जो वर्तमान स्थिति में पर्याप्त है। किन्तु भावी विकास की दृष्टि से ग्राम सोनौरा में बेलहटा मार्ग पर खेल परिसर हेतु 8.0 हेक्टेयर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.14.7 डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन

नगर के वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत कई डेयरियां संचालित है। यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अतः नगरीय बसाहट के पूर्वी क्षेत्र में ग्राम बेलहटा में कृषि उपयोग के अंतर्गत शासकीय भूमि में डेयरी एवं कुक्कुट पालन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु स्थल प्रस्तावित है। जिसमें नगर में संचालित उक्त गतिविधियों को धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.14.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में नव दुर्गा चौक के पास एवं सिन्धी कैम्प सब्जी मण्डी के पास माँस बिक्री कार्य संचालित है, जो उपयुक्त स्थल नहीं है। अतः ग्राम धवारी नें नजीराबाद स्थित शासकीय आराजी नम्बर 804 में 0.23 एकड़ भूमि पर स्लाटर हाउस विकसित किया जाना प्रस्तावित है। बिड़ला मार्केट में स्थित फुटकर बिक्री केन्द्र यथावत रहेगा।

#### 3.14.9 पिकनिक स्थल

राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण की ओर टमस नदी के किनारे वर्तमान बगीचा तथा बांधवगढ़ ऐतिहासिक किले को सम्मिलित करते हुए पिकनिक/मेला स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम बेलहटा में टमस नदी क मध्य स्थित टापू को भी पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.14.10 मेला स्थल

वर्तमान में संतोषीमाता मंदिर के पास बिड़ला मार्ग पर सप्ताह मे एक दिन शुक्रवार को मेला लगता है। किन्तु यह स्थल कम होने के कारण काफी अव्यवस्था होती है। अतः उससे संलग्न क्षेत्र ग्राम घूरडांग में 4.0 हेक्टेयर भूमि को मेला स्थल में रूप में विकसित

### सतना विकास योजना 2035

किया जाना प्रस्तावित है। मैहर मार्ग पर सतना नदी के किनारे वर्तमान मकरसंक्राति मेला स्थल यथावत रहेगा।

#### 3.14.11 प्रदर्शनी स्थल

राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर की ओर बांधवगढ़ कालोनी औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व एवं गहरा नाला को शामिल कर पश्चिम की ओर औद्योगिक/औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल हेतु 3.0 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। पुराना पॉलीटेक्नीक परिसर, कला वीथिका एवं पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.14.12 तरण ताल

मैत्री बाग से संलग्न नारायण तालाब को तरण ताल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ग्राम अमौधा खुर्द में अमौधा तालाब एवं उससे संलग्न क्षेत्र को बगीचे के साथ तरणताल हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान विन्ध्य क्लब में स्थित तरणताल का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3.14.13 भू-जल संवर्धन

विगत कई वर्षों से सतना नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में निरंतर अनावृष्टि के प्रकोप के कारण भू-जल स्तर वर्ष-प्रतिवर्ष घटना जा रहा है। ग्रीष्मकाल में कुएं एवं नलकूप सूख जाते हैं जिसके कारण नगरवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसके निदान हेतु कृत्रिम विधियों से भू-जल स्तर में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।


कुओं, हैण्ड पंपों एवं नलकूपों में वर्षाजल एकत्रित कर भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एक उत्तम तकनीक है। इसमें भू-जल स्तर में वृद्धि होगी साथ ही रिचार्जपिट (गड्ढा), रिचार्ज ट्रेच, रिचार्ज शाफ्ट में भी छत का पानी इकट्ठा का रिचार्ज किया जा सकता है। इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में किया गया है, जिसका पालन प्रत्येक ट्यूबवेल धारियों को करना अनिवार्य होगा। साथ ही नगर के बड़े-बड़े दो संस्थाओं जैसे बड़े भवनों, काम्पलेक्सों, सार्वजनिक एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रक्षेत्रों आदि में उक्त प्रणाली को विकसित किए जाने हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा।

#### 3.14.14 ए.टी.एम.

ए.टी.एम. मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंको के ए.टी.एम. की स्थिति को मानचित्र क्रमांक 3.14 में दर्शाया गया है।

#### 3.14.15 अन्य सेवाएं-सुविधाएं

डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उपआरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।



## अध्याय- 4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना

### 4.1 यातायात संरचना

परिवहन संरचना शहर की मूल आवश्यकता का आधार होने से वाहन, जल, मल, अपशिष्ट, विद्युत, टेलीफोन आदि जन-सुविधाओं के संबंध का कार्य परिवहन संरचना के सापेक्ष ही होता है ।

नगरीय विकास/विस्तार के लिये प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगर आबादी को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके, प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है, कुशल यातायात प्रबंधन से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन मूल्य आदि को कम किया जा सकता है, प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है :-

- (1) क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।
  - (2) नगर के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना ।
  - (3) नगर के कार्य केन्द्रों का परस्पर संबंध स्थापित करना ।
  - (4) नगर की बसाहटों का आपस में सामन्जस्य स्थापित करना ।
  - (5) मिश्रित यातायात के अनुरूप संसंगठित मार्ग संरचना, यातायात प्रणाली की कार्य-कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है :-
- (1) अंतर्नगरीय यातायात                      (2) नगरीय यातायात

### 4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर के भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। मार्ग संरचना निर्मित होने के उपरांत लम्बे समय तक उपयोग में आती है। वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, पिछले एक दशक में वाहनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। नगर यातायात हेतु छोटे यात्री वाहन जैसे कि टेम्पो, मैजिक वाहन एवं ऑटो रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन होकर नगर की यातायात प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में टेम्पो, ऑटो रिक्शा मैजिक वाहन, साईकिल रिक्शा यात्री वाहन हेतु एवं माल वाहन हेतु ऑटो रिक्शा एवं हाथ डेला का उपयोग प्रचलित है। तीव्र एवं मंद गति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है। नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं:

### सतना विकास योजना 2035

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के नगर से गुजरने वाले यातायात को कम करने के लिये बायपास।
2. लगभग सभी मुख्य मार्गों के मार्ग उपस्कर में सुधार आवश्यक है।
3. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग का प्रावधान।
4. कार्य केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर परिवहन व्यवस्था सृद्ध करना।

## 4.3 अंतर्नगरीय यातायात

### 4.3.1 रेल मार्ग

सतना नगर रेल यातायात से मुम्बई-प्रयागराज रेल लाइन पर स्थित होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान में हो सकेगी। वर्तमान में सतना रेलवे स्टेशन विकसित हैं।

### 4.3.2 सड़क मार्ग

सतना राष्ट्रीय राजमार्ग सतना राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं 135-बीजी पर स्थित है जो शहर को सीधी, पन्ना, रीवा, सिंगरौली एवं मैहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जोड़ते हैं। अतः माल का आयात-निर्यात मार्ग यातायात द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होता है। इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का काफी दबाव रहता है। क्षेत्रीय यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये बायपास मार्ग का निर्माण किया गया है।


### 4.3.3 सीधा यातायात

सतना नगर से गुजरने वाले मार्गों पर सीधा यातायात गुजरता है, अतः इन मार्गों पर बढ़ते हुये यातायात के दबाव को देखते हुये इन मार्गों को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना प्रस्तावित है।

## 4.4 नगरीय यातायात

नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनो ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र जैसे- कलेक्ट्रेट, कृषि उपज मण्डी, यातायात नगर, औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है -

(अ) नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास।



### सतना विकास योजना 2035

(ब) मुख्य कार्य केन्द्रों जैसे— यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गों का विकास ।

(स) विभिन्न संरचना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास ।

(द) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल ।

(इ) नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

#### 4.5 मार्गों का श्रेणी कम एवं मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई :-

##### 4.5.1 क्षेत्रीय मार्ग

सतना नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135-बीजी गुजरता है, जिसके फलस्वरूप नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होता है ।

##### 4.5.2 नगरीय मार्ग

###### (अ) बायपास मार्ग

सतना नगर के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु बायपास मार्ग का विकास किया गया है, जिसकी चौड़ाई 36.00/60.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

###### (ब) प्रमुख नगर मार्ग

नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षा संस्थायें, स्वास्थ्य केन्द्र इन्हीं मार्गों पर स्थित होने से इन मार्गों की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौड़ाई 30.00-40.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

###### (स) वृत्तखण्ड मार्ग

यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये हैं, ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबन्ध स्थापित करेगे, इनकी चौड़ाई 24.00-30.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

###### (द) उप वृत्तखण्ड मार्ग

इन मार्गों द्वारा खण्ड में स्थित आबादी की यातायात विषयक आवश्यकतायें पूरी होती रहेगी, तथा इन मार्गों को वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गों से जोड़ा जाएगा । इन मार्गों की चौड़ाई 18.00-24.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

### सतना विकास योजना 2035

#### (इ) स्थानीय मार्ग

यह मार्ग मुख्यतः आवासीय खण्डों में परिभ्रमण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तावित है, इन मार्गों के किनारे पुटपाथ, भूमिगत मल निकास एवं विद्युत प्रदाय हेतु लाईन का प्रावधान होता है। इनकी चौड़ाई 09.00 से 12.00 मीटर की 10 स्थानीय मार्ग प्रस्तावित की गई है।

#### 4.5.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की गई है, सारणी 4-सा-1 में नगर के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई एवं सारणी 4-सा-2 में विद्यमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निर्धारित की गई है।

#### मध्य क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई

#### सारणी 4-सा-1

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मार्ग की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	स्टेशन मार्ग (पश्चिमी वृत्त मार्ग)	सर्किट हाउस चौक से स्टेशन मार्ग होकर गौशाला चौक तक	15.00-18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
2.	गौशाला चौक से खेरमाई नाला तक (दक्षिण वृत्त मार्ग)	गौशाला चौक से पूर्व की ओर नाले तक	9.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
3.	नया तालाब एवं कंवरराम टाकीज मार्ग (पूर्वी वृत्त मार्ग)	(अ) दक्षिण मार्ग के मिलान बिन्दु से नव दुर्गा चौक तक	15.00-18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
		(ब) नव दुर्गा चौक से पुराने गल्ला मंडी तिराहा होकर जगत देव तालाब चौक तक	15.00-18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग

## सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मार्ग की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		(स) जगतदेव तालाब चौक से पशु चिकित्सालय तक	12.00-15.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
		(द) पशु चिकित्सालय सं सेमरिया चौक तक	15.00-24.00	24.00	वाणिज्यिक मार्ग
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तरी वृत्त मार्ग)	सेमरिया चौक से सर्किट हाउस चौक तक	35.00	36.00	वाणिज्यिक मार्ग
5.	अस्पताल मार्ग	स्टेशन मार्ग से जगतदेव तालाब तक	18.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
6.	गल्ला मंडी मार्ग (टिकुरिया टोला मार्ग)	जय स्तम्भ चौक से पुरानी गल्ला मंडी तिराहा तक	12.00-15.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
7.	महावीर मार्ग	पुराना नगर निगम कार्यालय से हनुमान चौक होकर गौशाला चौक तक	12.00-15.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
8.	महावीर भवन मार्ग	अस्पताल चौक से जय स्तम्भ चौक तक	-	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
9.	पुराना पावर हाउस मार्ग	स्टेशन मार्ग से पुराना पावर हाउस चौक तक	12.00-15.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
10.	चौक बाजार	वीनस लाज तिराहे से शराब कारखाना तक	12.00-15.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
11.	पुरानी सब्जी मंडी मार्ग	स्टेशन मार्ग से बिहारी चौक लालता चौक होकर सब्जी मंडी क	12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग

==== सतना विकास योजना 2035 =====

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	मार्ग की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
12.	प्रणामी मंदिर मार्ग	फूलचंद भजियावाला चौक से लालता चौक होकर दक्षिणी वृत्त मार्ग तक	12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
13.	हनुमान चौक मार्ग	स्टेशन मार्ग से हनुमान चौक होकर नया तालाब मार्ग तक	—	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
14.	खेरमाई रोड़	होटल प्रताप के सामने से जगतदेव तालाब तक	12.00	18.00	वाणिज्यिक मार्ग
15.	आयुष्मान अस्पताल मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	9.00—12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग
16.	सहकारी भवन मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	9.00—12.00	12.00	वाणिज्यिक मार्ग

---



---

 सतना विकास योजना 2035
 

---



---

## मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4-सा-2

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 (पन्ना-रीवा मार्ग)	(अ) प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (रीवा की ओर) से प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (पन्ना की ओर) तक	35.00	36.00
		(ब) प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (रीवा एवं पन्ना की ओर) से आगे	60.00	60.00
2.	क्षेत्रीय मार्ग			
	1. मैहर मार्ग	(अ) गौशाला चौक से डाली बाबा चौक तक	18.00	18.00
		(ब) डाली बाबा चौक से वृत्तीय मार्ग तक	30.00	30.00
		(स) वृत्तीय मार्ग से आगे मैहर मार्ग की ओर	60.00	60.00
	2. चित्रकूट मार्ग	(अ) सिविल लाइन तिराहा से वृत्तीय मार्ग तक	30.00	30.00
		(ब) वृत्तीय मार्ग से आगे	45.00	45.00
	3. सेमरिया मार्ग	(अ) सेमरिया चौक से वृत्त मार्ग तक	35.00	36.00
		(ब) वृत्त मार्ग से आगे सेमरिया की ओर	60.00	60.00
3.	वृत्त मार्ग (प्रस्तावित)	(अ) उत्तरी वृत्त मार्ग (रीवा मार्ग से पन्ना मार्ग तक)	60.00	60.00
		(ब) दक्षिण वृत्त मार्ग (रीवा मार्ग से मैहर मार्ग होकर पन्ना मार्ग तक)	60.00	60.00
4.	प्रमुख नगरीय मार्ग	1. सिटी कोतवाली से धवारी तिराहा होकर भरहुत होटल सिविल लाइन तिराहा तक	24.00	24.00

## सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
		2. राष्ट्रीय राजमार्ग करही चौक से समरिटन अस्पताल चौक होकर महादेवा तक।	12.00 / 15.00	15.00
		3.(अ) धवारी मार्ग पर जवाहर मैदान से पश्चिम की ओर नाले तक	12.00	12.00
		(ब) नाले से समरिटल अस्पताल चौक तक	15.00 / 18.00	18.00
		4. (अ) स्टेडियम चौक से धवारी बस्ती होकर वनवासी सरस्वती स्कूल मोड़ तक	12.00	12.00
		(ब) सरस्वती स्कूल तिराहे से महादेवा की ओर	18.00	18.00
		5. (अ) करही तिराहा से इंजीनियरिंग कालेज मार्ग गोदाम तक (विस्तार उत्तर-पूर्व तरफ)	15.00	15.00
		(ब) गोदाम से आगे	18.00	18.00
		6. प्रेम नर्सिंग होम तिराहा से अन्डर ब्रिज होकर रेल्वे क्रॉसिंग तक	15.00 / 18.00	18.00
		7. रेल्वे क्रॉसिंग से चित्रकूट मार्ग तक	18.00 / 24.00	24.00
		8. सर्किट हाउस चौक से झंकार टाकीज होकर स्वामी चौराहा तक	15.00 / 18.00	18.00
		9. (क) बरदाडीह चौक से शुक्ला ग्राम की ओर	15.00 / 18.00	18.00

## सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
		जाने वाला मार्ग प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग तक		
		(ख) प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग के आगे	30.00	30.00
		10. भरहुत नगर तिराहा से पुराना आर0टी0ओ0 कार्यालय तक	18.00	18.00
		11. बस स्टैण्ड फायर ब्रिगेड से बैंक कालोनी तक	9.00 / 12.00	12.00
		12. काईस ज्योति स्कूल के सामने से कृष्ण नगर मार्ग को कास कर सरस्वती स्कूल तक	9.00 / 12.00	12.00
		13. बांस नाका से लखन चौराहा होकर वर्तमान वायपास तक	18.00	18.00
		14. डाली बाबा चौक से डाली बाबा मंदिर होकर लखन चौक तक	12.00	12.00
		15. (अ) सेमरिया मार्ग से गल्ला मण्डी तक	35.00	36.00
		(ब) मंडी से आगे पॉलीटेक्नीक कालेज होकर प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग तक	25.00	25.00
		16. सीता राम पेट्रोल पम्प से शिव मंदिर होकर बांधवगढ़ कालोनी यादव पेट्रोल पम्प तक।	15.00 / 18.00	18.00
		1. सेमरिया मार्ग पर दीनदयाल गेट से शिव चौक तक	18.00	18.00

सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
		2. कोलगवां कोतवाली के सामने दीनदयाल गेट से सिन्धी धर्मशाला तक	18.00	18.00
		3. राष्ट्रीय राजमार्ग से जेल तक	30.00	30.00
		4. बढैया चौक से बांधवगढ़ कालोनी तक	18.00	18.00
		5. गहरानाला से सरस्वती आवासीय विद्यालय होकर वायपास तक	18.00	18.00
		6. वर्तमान वायपास मार्ग से बेलहटा की ओर।	24.00	24.00
	वृत्त खण्ड मार्ग	निवेश ईकाई के अंदर आवागमन	12.00 / 18.00	24.00
	उपवृत्त खण्ड मार्ग	क्षेत्र के अंदर आवागमन	9.00 / 15.00	18.00
	स्थानीय मार्ग	क्षेत्र के अंदर आवागमन	9.00 / 12.00	12.00
	पदचारी मार्ग	क्षेत्र के अंदर आवागमन	3.00 / 5.00	3 / 5.00
	ग्रामीण पहुँच मार्ग	ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन	—	18.00
	प्रधानमंत्री सड़क मार्ग	—	—	24.00
<b>5.</b>	<b>प्रमुख मार्ग</b>			
	एम.आर. नं. 1	उत्तरी रिंग रोड से इंजीनियरिंग कॉलेज होकर चित्रकूट मार्ग तक	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 2	भरजुना मार्ग से पश्चिम की ओर रेलवे लाइन तक।	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 3	औद्योगिक क्षेत्र से गल्ला मंडी को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग से उत्तरी रिंग रोड तक	35.00	36.00

## सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4	5
	एम.आर. नं. 4	डिलौरा बायपास से प्रस्तावित दुग्ध डेयरी उद्योग बेलहटा मार्ग तक	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 5	ग्राम उत्तैली बायपास से प्रस्तावित रिंग रोड तक	35.00	36.00
	एम.आर. नं. 6	ग्राम उमरी राष्ट्रीय राजमार्ग से महादेवा प्रस्तावित मार्ग तक	35.00	36.00

## प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

## सारणी 4-सा-3

क्रमांक	मार्ग	मार्ग खण्ड	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road)</b>		
(1)	एस.आर. 1	मैहर बायपास मार्ग से एस.आर. 2	24.00
(2)	एस.आर. 2	एम.आर. 4 से प्रस्तावित मैहर बायपास मार्ग	24.00
(3)	एस.आर. 3	मैहर बायपास मार्ग से एस.एस.आर. 1	24.00
<b>2.</b>	<b>उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sub-Sector Road)</b>		
(1)	एस.एस.आर. 1	एम.आर. 4 से प्रस्तावित मैहर बायपास मार्ग	18.00
(2)	एस.एस.आर. 2	नारायण तालाब से मैहर बाईपास होकर एम. आर. 4 तक	18.00
(3)	एस.एस.आर. 3	सतना डिग्री कॉलेज के पास से मैहर बाईपास मार्ग तक	18.00
(4)	एस.एस.आर. 4	ट्रांसपोर्ट नगर से रीवा पन्ना मार्ग तक	18.00
(5)	एस.एस.आर. 5	प्रस्तावित उत्तरी बाईपास मार्ग से एस.एस. आर. 4 तक	18.00
(6)	एस.एस.आर. 6	बायपास मार्ग से कुशवाहा मार्ग	18.00
(7)	एस.एस.आर. 7	नीमी मार्ग से कुशवाहा मार्ग तक	18.00
(8)	एस.एस.आर. 8	घुरड़ांग चौराहे से पश्चिम की ओर भरजुना मार्ग तक	18.00
(9)	एस.एस.आर. 9	बिरला सीमेंट प्लांट से भरजुना मार्ग तक	18.00
(10)	एस.एस.आर. 10	एम.आर. 1 से उत्तरी बायपास मार्ग	18.00
(11)	एस.एस.आर. 11	महदेवा मार्ग से सतना रेलवे स्टेशन तक	18.00
(12)	एस.एस.आर. 12	एस.एस.आर. 11 से धवारी-महदेवा मार्ग तक	18.00
(13)	एस.एस.आर. 13	डाली बाबा मार्ग से मैहर बायपास तक	18.00



## 4.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री)

### (अ) रेल्वे गुड्स यार्ड

भविष्य की आवश्यकता के मान से वर्तमान में रेल्वे विभाग का गुड्स यार्ड हेतु स्थान पर्याप्त है ।

### (ब) यातायात नगर

सतना नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु यातायात नगर रीवा मार्ग पर विकसित हैं।

### 4.6.1 आवसान केन्द्र (यात्री)

#### (अ) रेल्वे स्टेशन

वर्तमान में सतना रेल्वे स्टेशन नगर के मध्य में स्थित है, नगर के मध्य से व अन्य क्षेत्र से पहुंच मार्ग उपलब्ध है । रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ।

#### (ब) क्षेत्रीय बस स्टेण्ड एवं बस डिपो

सतना नगर में वर्तमान में बस स्टेण्ड नगर के मध्य में स्थित है। जो कि रेल्वे स्टेशन के नजदीक एवं मुख्य मार्ग पर स्थित है।

## 4.7 पार्किंग प्रस्ताव

वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रों के समीप बहुत अधिक है । आने वाले समय में यह समस्या ओर भी बढ़ेगी, इसका एक मात्र हल यही होगा कि प्रभावी परिवहन व्यवस्था विकसित की जावे एवं यातायात के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जावे । साथ ही स्थायी निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि पार्किंग की विस्तृत योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन किया जावे । पार्किंग योजना तैयार होने तक निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- (i) मध्य क्षेत्र में फुटपाथ की चौड़ाई 1.5 मीटर रखी जाकर उसके अंदर ही ड्रेनेज निकाली जाये तथा सडक की शेष भूमि का पार्किंग के लिये उपयोग किया जावे ।
- (ii) चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिये पृथक-पृथक पार्किंग क्षेत्र का निर्धारण ।
- (iii) नगर के क्षेत्रीय मार्गों एवं कार्यकेन्द्रों के समीप पार्किंग के स्थान हेतु भूमि आरक्षित करना ।
- (iv) स्वीकृत मानचित्रों में पार्किंग के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन द्वारा समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

---

---

**सतना विकास योजना 2035**

---


---

**4.8 यातायात प्रबंधन योजना**

विगत दशक में सतना में पंजीकृत वाहनों की में काफी वृद्धि हुई है। अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रों के बढ़ते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिग्नल, रोटरी, ज्यामितिय संरचना, मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ, चौराहों पुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था, सडकों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना, नागरिकों को यातायात की जानकारी, स्कूल एवं कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

**4.8.1 चौराहों का विकास**

नगर के व्यस्तम मार्ग संगमों पर यातायात सिग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्क्रोनाइज किया जावे तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है। भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाव तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों पर फ्लाय ओवर, निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।



## अध्याय— 5 विकास योजना प्रस्ताव—2035

### 5.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

सतना विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 4.60 लाख हेतु दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई थी। भारत सरकार द्वारा चयनित मध्य-प्रदेश के 34 शहरों में से सतना नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु चयनित किया गया एवं सतना विकास योजना 2021 की समयावधि खत्म होने के पूर्व विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 5.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

### 5.2 योजना अवधारणा

सतना नगर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब, पहाड़ियों पर आधारित है। भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है।

1. पुराना नगर (मध्य क्षेत्र)।
2. सेमरिया मार्ग (ग्राम बदखर)।
3. रीवा-पन्ना मार्ग (ग्राम कृपालपुर)।
4. चित्रकूट-मैहर मार्ग (ग्राम बगहा, डिलौरा)।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा। वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु मिश्रित उपयोग हेतु उचित प्रावधान किये जाने की

### सतना विकास योजना 2035

आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है।

### 5.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता


सतना विकास योजना 2021 के अनुसार सतना निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2020 में जनसंख्या 4.00 लाख के आस-पास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक औसतन जनसंख्या 5.50 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आमोद-प्रमोद एवं परिवहन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक सतना निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 7271.06 हेक्टेयर भूमि कुल 5.50 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी। सतना निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

### 5.4 भूमि उपयोग 2035

सतना विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 13.22 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू-उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 2021 में 13.14 हेक्टेयर प्रति हजार भू-उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी। जबकि वर्तमान में यह दर 8.62 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है।



---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

## वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

## सारणी 5-सा-1

क्र.	भू- उपयोग	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र 2019			कुल प्रस्तावित क्षेत्र 2035 ( वर्तमान विकसित क्षेत्र सहित)		
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) वर्तमान + प्रस्तावित	प्रतिशत	प्रस्तावित भूमि उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आवासीय	3327.38	1633.55	47.37	4.08	3656.91	50.29	6.65
2.	वाणिज्यिक	325.14	179.95	5.22	0.45	353.14	4.86	0.64
3.	औद्योगिक	449.78	283.02	8.21	0.71	426.88	5.87	0.78
4.	मिश्रित	-	106.28	3.08	0.27	537.84	7.40	0.98
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	416.81	264.24	8.06	0.69	383.86	5.52	0.73
	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ		13.64			17.68		
6.	आमोद-प्रमोद	581.98	226.38	6.56	0.57	913.38	12.56	1.66
7.	यातायात एवं परिवहन	943.51	741.45	21.50	1.85	981.37	13.50	1.78
<b>योग</b>		<b>6044.60</b>	<b>3448.51</b>	<b>100</b>	<b>8.62</b>	<b>7271.06</b>	<b>100</b>	<b>13.22</b>

**5.4.1 आवासीय**

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 3656.91 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 50.29 प्रतिशत है।

**5.4.2 वाणिज्यिक**

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 353.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 4.86 प्रतिशत है।

### सतना विकास योजना 2035

#### 5.4.3 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 426.88 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 5.87 प्रतिशत है।

#### 5.4.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 537.84 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.40 प्रतिशत है।

#### 5.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 383.86 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.28 प्रतिशत है।

#### 5.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 17.68 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.24 प्रतिशत है।

#### 5.4.7 आमोद-प्रमोद


विकास योजना में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत 913.38 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.56 प्रतिशत है। प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है। इस उपयोग के अन्तर्गत नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है।

#### 5.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 981.37 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 13.50 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ बायपास मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है।

### 5.5 निवेश इकाईयाँ

सतना विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 4 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया था। विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाईयों के क्षेत्र को यथावत रखा गया है। निवेश इकाई का विस्तृत विवरण सारणी में दर्शाया गया है।



154

सतना विकास योजना 2035

निवेश इकाईयाँ

सारणी 5-सा- 2

क्र.	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	निवेश इकाई क्रमांक-1	1254.47
2.	निवेश इकाई क्रमांक-2	4920.22
3.	निवेश इकाई क्रमांक-3	1673.44
4.	निवेश इकाई क्रमांक-4	3551.92

**निवेश इकाई क्रमांक-1**

इस इकाई में निवेश क्षेत्र का दक्षिणी-पश्चिमी भाग सम्मिलित है, जिसमें रेलवे कॉलोनी सहित पुराना मध्यवर्ती क्षेत्र का हिस्सा शामिल है। इस इकाई के उत्तर में पन्ना, रीवा मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा एवं पूर्व में खेरमाई मार्ग, मध्य क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं रेलवे लाइन स्थित है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 1254.47 हेक्टेयर है।

**निवेश इकाई क्रमांक-2**

इस निवेश इकाई में सिविल लाइन का क्षेत्र, मुख्तयार गंज, सिद्धार्थनगर, बस स्टेण्ड, सीमेन्ट एवं केबिल्स फेक्ट्री आदि क्षेत्र शामिल है। इसकी सीमाएं त्रिभुजाकार आकृति में होकर दक्षिण में पन्ना-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व में सेमरिया मार्ग तथा उत्तर एवं पश्चिम में निवेश क्षेत्र की सीमा तक है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 4920.22 हेक्टेयर है।

**निवेश इकाई क्रमांक-3**

इस निवेश इकाई की सीमा में दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर-पश्चिम में सेमरिया मार्ग तथा पूर्व में पूर्वी निवेश क्षेत्र तक का क्षेत्र आता है। इसमें सीमेन्ट फेक्ट्री का आवासीय भाग, अस्पताल एवं स्टेडियम क्षेत्र, बांधवगढ़ कॉलोनी, सिन्धी कैम्प, नई बस्ती, अनाज मण्डी, डिग्री कॉलेज, आद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1673.44 हेक्टेयर है।

**निवेश इकाई क्रमांक-4**

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग, पश्चिम में खेरमाई मार्ग, मध्यवर्ती क्षेत्र का पूर्वी वृत्त मार्ग एवं रेलवे लाईन तथा दक्षिण एवं पूर्व में निवेश क्षेत्र सीमा तक है। इस इकाई में टिकुरिया टोला उत्तैली, संग्राम कॉलोनी, कृष्ण नगर, जीवन ज्योति कॉलोनी आदि प्रमुख आवासीय क्षेत्र शामिल है। इसका कुल क्षेत्रफल 3551.92 हेक्टेयर है।

## सतना विकास योजना 2035

### 5.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-


- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे - नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

### 5.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

सतना नगरीय क्षेत्र में नगर पालिक निगम द्वारा अधिसूचित 53 गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास,



## सतना विकास योजना 2035

निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

### 5.8 आमोद-प्रमोद स्थल

#### 5.8.1 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू-दृश्यीकरण उपकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है।

#### 5.8.2 नगर उद्यान

शहर में वर्तमान में कुल 55 उद्यान हैं।

#### 5.8.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में सतना नगर में तीन स्टेडियम विद्यमान हैं। इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है।

### 5.9 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।

### सतना विकास योजना 2035

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे-सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

#### 5.10 ग्राम आबादी विस्तार

सतना निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

#### 5.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ढेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार होगा। यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जावेगा।

## अध्याय- 6 विकास नियमन

### 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगे:

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

### 6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि,

### सतना विकास योजना 2035

- वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।
5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।
  6. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी।
  7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
  8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी।
  9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है, तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा।
  10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
  11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।
  12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा।
  13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 50 मीटर तक, एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों, आमोद-प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाए, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए, तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।
19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।
20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।

### सतना विकास योजना 2035

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा, तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरो के आधार पर ही किया जाएगा।
23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे।
24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

### 6.3 परिभाषाएँ

1. उपयोग परिक्षेत्र: मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
2. उपयोग परिसर: ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो, एवं जिसे की अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
3. अभिन्यास: उपविभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार दिए हों।
4. भूमि उपयोग मानचित्र: सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र
5. परिक्षेत्रिक योजना: निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
6. नगरीय ग्राम: भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी
7. नगरीय विरासत का क्षेत्र: ऐसा परिसर जिसमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
8. विकसित क्षेत्र: विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
9. एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास: परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार/संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
10. मिश्रित उपयोग: इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

11. ऊँचे भवनों का विकास: म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित।
12. फर्शी क्षेत्रानुपात: म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
13. भवन की ऊँचाई: म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
14. संवेदनशील क्षेत्र: परिस्थितिजन्य, पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इनके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।  
अन्य परिभाषाएं व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

#### 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे, यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है। एवं नगर की आवश्यकतानुसार उपयोग की गई श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-2 में उल्लेखित है।

सतना विकास योजना 2035

मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा-1

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1.	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2.	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3.	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4.	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
6.	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		झाय पोर्ट या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7.	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रैडिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
9.	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10.	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

सतना निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र

## सतना विकास योजना 2035

जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

### 6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

#### 6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित हैं, एवं सारणी में दर्शाए भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक हैं।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।
6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

### सतना विकास योजना 2035

### सतना: आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

सारणी 6-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाइयों
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.5	2
2.	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
3.	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
4.	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5.	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6.	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7.	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8.	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9.	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10.	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11.	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12.	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13.	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14.	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

#### नोट:

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. वे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य का है, उनको पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन तथा एफ.ए.आर. के अनुसार, अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु भवन रेखा निर्धारित करने के पश्चात्।

### सतना विकास योजना 2035

5. सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाइयाँ मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई, तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

#### 6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6-सा-3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा-3

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

#### 6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

### सतना विकास योजना 2035

#### 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

#### वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	भवन रेखा (मी. में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू-आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीपः

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के अनुसार एफ.ए. आर. देय होगा।
  - 18 मीटर तक 1.75
  - 24 मीटर से अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी 6-सा-4 में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे।
- अभिन्यास में पार्किंग हेतु प्रावधान एकीकृत रूप से समस्त भूखण्डों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग लॉटरूप में दिए जाने की स्थिति में

### सतना विकास योजना 2035

प्रत्येक परिसर हेतु पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी। वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।

4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से )
12.0 मीटर	09.0 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।

6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6-सा-5 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6-सा-5

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत
<b>मार्गों की चौड़ाई</b>		
4.	बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर
	दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर
	दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	7.5 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

#### 6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी:

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।

### सतना विकास योजना 2035

3. प्रस्तावित फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
4. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

1. 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	100 प्रतिशत
2. 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	80 प्रतिशत
3. फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

#### टीपः

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

#### 6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं, अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है:

1. वाणिज्यिक मार्ग
2. वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6-सा-6 में दर्शाए गए हैं।

## सतना विकास योजना 2035

## वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

## सारणी 6-सा-6

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5
1.	स्टेशन मार्ग (पश्चिमी वृत्त मार्ग)	सर्किट हाउस चौक से स्टेशन मार्ग होकर गौशाला चौक तक	18.00	2.00
2.	गौशाला चौक से खेरमाई नाला तक (दक्षिण वृत्त मार्ग)	गौशाला चौक से पूर्व की ओर नाले तक	12.00	2.00
3.	नया तालाब एवं कंवरराम टाकीज मार्ग (पूर्वी वृत्त मार्ग)	(अ) दक्षिण मार्ग के मिलान बिन्दु से नव दुर्गा चौक तक	18.00	2.00
		(ब) नव दुर्गा चौक से पुराने गल्ला मंडी तिराहा होकर जगत देव तालाब चौक तक	18.00	2.00
		(स) जगतदेव तालाब चौक से पशु चिकित्सालय तक	15.00	2.00
		(द) पशु चिकित्सालय सं सेमरिया चौक तक	24.00	2.00
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तरी वृत्त मार्ग)	सेमरिया चौक से सर्किट हाउस चौक तक	36.00	2.00
5.	अस्पताल मार्ग	स्टेशन मार्ग से जगतदेव तालाब तक	18.00	2.00
6.	गल्ला मंडी मार्ग (टिकुरिया टोला मार्ग)	जय स्तम्भ चौक से पुरानी गल्ला मंडी तिराहा तक	15.00	2.00
7.	महावीर मार्ग	पुराना नगर निगम	15.00	2.00

### सतना विकास योजना 2035

क्रमांक	प्रमुख मार्ग का नाम	उप मार्ग	विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5
		कार्यालय से हनुमान चौक होकर गौशाला चौक तक		
8.	महावीर भवन मार्ग	अस्पताल चौक से जय स्तंभ चौक तक	12.00	2.00
9.	पुराना पावर हाउस मार्ग	स्टेशन मार्ग से पुराना पावर हाउस चौक तक	12.00	2.00
10.	चौक बाजार	वीनस लाज तिराहे से शराब कारखाना तक	12.00	2.00
11.	पुरानी सब्जी मंडी मार्ग	स्टेशन मार्ग से बिहारी चौक लालता चौक होकर सब्जी मंडी क	12.00	2.00
12.	प्रणामी मंदिर मार्ग	फूलचंद भजियावाला चौक से लालता चौक होकर दक्षिणी वृत्त मार्ग तक	12.00	2.00
13.	हनुमान चौक मार्ग	स्टेशन मार्ग से हनुमान चौक होकर नया तालाब मार्ग तक	12.00	2.00
14.	खेरमाई रोड़	होटल प्रताप के सामने से जगतदेव तालाब तक	18.00	2.00
15.	आयुष्मान अस्पताल मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	12.00	2.00
16.	सहकारी भवन मार्ग	खेरमाई मार्ग से स्टेशन मार्ग तक	12.00	2.00

#### नोट:

1. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
2. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार्य होगा।

### सतना विकास योजना 2035

#### निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	—66 प्रतिशत
200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	—60 प्रतिशत
400 वर्गमीटर से अधिक	—50 प्रतिशत

#### 6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

#### 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

##### 6.4.4.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

##### 6.4.4.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किए जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ना भी संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

### सतना विकास योजना 2035

#### 6.4.4.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर आवासीय गतिविधियाँ जैसे, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगी।

#### 6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-7 में दर्शाए गए हैं।

#### सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन

#### सारणी 6-सा-7

क्र.	विवरण	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1.	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.00
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	30 प्रतिशत	1.00
3.	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4.	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5.	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.00
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25
7.	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.00
8.	अग्निशमन स्थल	30 प्रतिशत	1.00
9.	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.00
10.	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

टीप: 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

#### 6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।

### सतना विकास योजना 2035

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जाए।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिषिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6-सा-8 में दर्शाए गए हैं।

### सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6-सा-8

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>शैक्षणिक भवन</b>					
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0	12.0	5.0
	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0	15.0	6.0
2	<b>स्वास्थ्य</b>					
	हास्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेच्रोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50	

### सतना विकास योजना 2035

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
	इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	जनउपयोगिता एवं सेवायें पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित सामुदायिक भवन उप अग्निशमन केन्द्र अग्निशमन केन्द्र डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	35 प्रतिशत 25 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत —	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 —	— 12.0 12.0 12.0 12.0 —	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

**नोट—** उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगा जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।

## 6.5 अन्य नियमन

### 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

### 6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

### 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

### सतना विकास योजना 2035

#### 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6-सा-9 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

#### अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-9

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
	वृत्त खण्ड केन्द्र	
	उपवृत्त खण्ड केन्द्र	
	सुलभ शॉपिंग	
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
<b>विद्यालय</b>		
5.	प्राथमिक	3 से 4 इकाई
	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
<b>उद्यान</b>		
6.	नगर उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
	स्थानीय उद्यान	2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप: प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

#### 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन चार्जिंग/ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

### सतना विकास योजना 2035

#### 6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

इस हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी— ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स, सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टॉरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं आनुषंगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं।

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

#### 6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

#### 6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

#### 6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र	

1. सम्मुख 6.0 मीटर
  2. अन्य तीन ओर 4.50 मीटर
- अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

### सतना विकास योजना 2035

#### 6.5.10 मैरिज गार्डन

विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

#### 6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1:0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.00 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र</b>	
सम्मुख	6.00 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
<b>अन्य नियंत्रण</b>	

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी।

**टीप:** शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

#### 6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

1. भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल— 1000 वर्गमीटर
2. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात— 1:0.40
3. अधिकतम निर्मित क्षेत्र— 40 प्रतिशत
4. भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई— 12.0 मीटर
5. सीमांत खुला क्षेत्र — 6.0 मीटर

#### 6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

#### 6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे।

### सतना विकास योजना 2035

एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

#### 6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषंगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

#### 6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं:

1. नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 50.00 मीटर तक, एवं नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा।
2. नहर की स्थिति में दोनों ओर 15.00-15.00 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
4. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. निम्न श्रेणी के संवेदनशील क्षेत्रों में रख-रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

#### ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
  - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
  - समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।
8. पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

#### अन्य सुविधाएँ

सतना निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

## सतना विकास योजना 2035

## 6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6-सा-10 में दिया गया है।

## उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग

सारणी 6-सा-10

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेबरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग।
2.	वाणिज्यिक	
	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, मिश्रित

## सतना विकास योजना 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।
4.	मिश्रित उपयोग	आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्व. एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियां स्वीकृति योग्य होगी।
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक

## सतना विकास योजना 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेन्ट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग”
6.	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
7.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टैण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प।
8.	आमोद-प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय/ नगर उद्यान/ मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।

## सतना विकास योजना 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/ कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
9.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट

**सतना विकास योजना 2035**

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण।

**नोट:**

1. \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्य-प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
2. \*\*गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्य-प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
3. \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार।

### 6.8 अन्य सुविधाएँ

सतना निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

### 6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

## अध्याय- 7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम सतना, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

### 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 259813.90 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 1242.33 हेक्टेयर, भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टर मानी गई है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग-अलग माना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

==== सतना विकास योजना 2035 =====

**योजना क्रियान्वयन की लागत -2035**

सारणी 7-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)				भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय (कालम नं. 5)			कुल लागत (लाख रु. में) (7+10)
		प्रस्तावित	वर्तमान विकसित	शेष भूमि (3-4)	भू-अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		क्षेत्र (हेक्टेयर में)	दर (लाख रु. में)	लागत (लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आवासीय	3656.91	1633.55	2023.36	161.87	8093.43	1214.01	90	109261.30	117354.73
2.	वाणिज्यिक	353.14	179.95	173.19	10.39	519.57	103.91	120	12469.79	12989.37
3.	औद्योगिक	426.88	283.02	143.86	100.70	5034.94	86.31	120	10357.59	15392.54
4.	मिश्रित	537.84	106.28	431.56	215.78	10788.98	258.94	90	23304.19	34093.17
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	401.54	277.88	123.66	92.74	4637.21	74.20	90	6677.58	11314.79
6.	आमोद प्रमोद	913.38	226.38	687.00	480.90	24045.17	412.20	55	22671.16	46716.32
7.	यातायात एवं परिवहन	981.37	741.45	239.92	179.94	8997.12	143.95	90	12955.86	21952.98
<b>कुल विकसित क्षेत्र</b>		<b>7271.06</b>	<b>3448.51</b>	<b>3822.55</b>	<b>1242.33</b>	<b>62116.42</b>	<b>2293.53</b>	<b>655.00</b>	<b>197697.48</b>	<b>259813.90</b>

## 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

### 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुर्नचक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं।

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

### 7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

**नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:-**

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

#### 1. नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की

### सतना विकास योजना 2035

भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

#### 2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

#### 3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।

### सतना विकास योजना 2035

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

### 7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

### 7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 2 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा द्वितीय चरण 2026 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगा:
  1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
  2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूप दे सके।
  3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
  4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोतों का विकास।
  5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
  6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।

### सतना विकास योजना 2035

7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
8. मुख्य जल स्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

### 7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं—

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना।
4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
5. भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

### 7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

#### प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-2

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हे.	प्रस्तावित स्थल
1	2	3	4
1.	आवासीय	53.42	निवेश ईकाइ क्रमांक 3
2.	वाणिज्यिक	3.43	निवेश ईकाइ क्रमांक 4
3.	औद्योगिक	33.23	निवेश ईकाइ क्रमांक 4
3.	मिश्रित	71.21	निवेश ईकाइ क्रमांक 3
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	30.61	निवेश ईकाइ क्रमांक 3 एवं 4
5.	आमोद-प्रमोद	158.70	निवेश ईकाइ क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4
6.	यातायात	59.38	निवेश ईकाइ क्रमांक 2 एवं 3

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7-सा-2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास

### सतना विकास योजना 2035

योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थानों के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 756.87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 85738.59 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7-सा-3 में दिया गया है।

#### प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7-सा-3

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 लाख प्रति हे० ) (रु. लाख में)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में) (4+7)
				भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	53.42	2670.83	400.62	90	36056.23	38727.06
2.	वाणिज्यिक	3.43	171.46	34.29	120	4115.03	4286.49
3.	औद्योगिक	33.23	1661.53	28.48	120	3418.01	5079.54
4.	मिश्रित	71.21	3560.36	85.45	90	7690.38	11250.75
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	30.61	1530.28	24.48	90	2203.60	3733.88
6.	आमोद प्रमोद	158.70	7934.91	136.03	55	7481.48	15416.39
7.	यातायात एवं परिवहन	59.38	2969.05	47.50	90	4275.43	7244.48
कुल विकसित क्षेत्र		409.97	20498.42	756.87	655.00	65240.17	85738.59

#### 7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।

### सतना विकास योजना 2035

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

### 7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र


योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
9. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
  1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
  2. सतना विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
  3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
  4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
  5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है।

#### ● पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नगर पालिक निगम सतना का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं



### सतना विकास योजना 2035

पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97 दिनांक 20.01.1998 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ-3/55/32/9 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष सतना की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

#### • वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

#### 7.11 योजना की व्याख्या

सतना विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-10 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/स्वीकार्य भू-उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

## अनुसूची

### परिभाषायें

- 001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**  
 एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**  
 न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों
- 003 आवासीय प्लेट**  
 एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**  
 एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**  
 विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (होस्टल)**  
 दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**  
 अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**  
 वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थायी रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**  
 सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 010 रैन-बसेरा (नाइट शेल्टर)**  
 ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 011 फुटकर दुकानें**  
 आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

### सतना विकास योजना 2035

- 012 मरम्मत दुकान**  
गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।
- 013 व्यक्तिगत सेवा दुकान**  
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।
- 014 बेडिंग बूथ**  
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।
- 015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र**  
लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।
- 016 स्थानीय दुकान केन्द्र**  
लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।
- 017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई**  
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।
- 018 थोक व्यापार**  
ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।
- 019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण**  
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।
- 020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**  
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
- 021 गैस गोदाम**  
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।
- 022 तेल डिपो**  
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।
- 023 कबाड़खाना**  
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।
- 024 वाणिज्यिक कार्यालय**  
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**025 बैंक**

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

**026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

**027 छविगृह**

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

**028 पेट्रोल पंप**

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

**029 रेस्टोरेंट/उपहार गृह**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

**030 होटल**

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

**031 मोटल**

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

**032 फ्लेटेड समूह उद्योग**

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

**033 सेवा केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

**034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग**

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

**035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग** ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

### सतना विकास योजना 2035

#### 036 उद्यान (पार्क)

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

#### 037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

#### 038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

#### 039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

#### 040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

#### 041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

#### 042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

#### 043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

#### 044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

#### 045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

#### 046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**047 वनस्पति उद्यान**

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

**048 पिकनिक हट/कैम्पिंग साइट**

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

**049 फ्लाईंग क्लब**

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

**050 माल एवं टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।

**051 रेल माल गोदाम**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

**052 रेल टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।

**053 सड़क परिवहन टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

**054 वाहन विराम**

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

**055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

**056 बस अवसान केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

### सतना विकास योजना 2035

#### 057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

#### 058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

#### 059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

#### 060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

#### 061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

#### 062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

#### 063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**064 चिकित्सालय**

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

**065 स्वास्थ्य केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

**066 उपचार केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

**067 औषधालय**

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

**068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

**069 उपचार प्रयोगशाला**

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

**070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा**

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

**071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

**072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल**

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

**073 माध्यमिक शाला**

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

**074 प्राथमिक शाला**

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

- 075 उच्चतर माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।
- 076 एकीकृत शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।
- 077 एकीकृत आवासीय शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।
- 078 महाविद्यालय**  
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।
- 079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।
- 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।
- 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।
- 082 पुस्तकालय**  
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।
- 083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।
- 084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण**  
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

**087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

**088 बाल यातायात उद्यान**

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो

**089 संग्रहालय**

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

**090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल**

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

**091 समागृह (ऑडिटोरियम)**

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

**092 खुला रंगमंच**

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

**093 सामुदायिक भवन**

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

**094 मेला मैदान**

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

**095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

**096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**

ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

**097 सुधार गृह**

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

### सतना विकास योजना 2035

- 098 अनाथालय**  
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।
- 101 पुलिस चौकी**  
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 पुलिस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।
- 103 जिला पुलिस कार्यालय**  
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**  
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।
- 106 जेल**  
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**  
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 अग्निशमन पोस्ट**  
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

**112 टेलीफोन एक्सचेंज**

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

**113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

**114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

**115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

**116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय**

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

**117 बाग (ओरचर्ड)**

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

**118 डेरी फार्म**

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**119 कुक्कुट फार्म**

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**120 सुअर पालन**

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**121 ग्रामीण केन्द्र**

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

**122 मल्टीप्लेक्स**

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

==== सतना विकास योजना 2035 =====

सतना विकास योजना 2035

## परिशिष्ट- 1

### (नियम 16 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(1) या 16 के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप प्रति,

.....  
.....  
.....

महोदय,

मैं नगर ..... तहसील ..... जिला ..... के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार ..... ग्राम ..... में स्थित खसरा क्रमांक ..... भू-खण्ड क्रमांक ..... क्षेत्र ..... हेक्टर/वर्ग मीटर..... (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा ..... वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञापित क्रमांक ..... जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ -

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) : .....
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) : .....
3. उपविभाग/अभिन्धास योजना (नियम 16(5) अनुसार) : .....  
(सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) : .....
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट : .....
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) : .....
7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) : .....
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) : .....
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) : .....
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान : .....
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी : .....

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर .....  
आवेदक का नाम .....  
आवेदक का पता .....  
ई-मेल पता .....  
दूरभाष/मोबाइल नम्बर .....  
दिनांक .....

सतना विकास योजना 2035

## परिशिष्ट- 2

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी .....

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला .....  
मौहल्ला/बाजार/तहसील ..... कालोनी/गली/ग्राम ..... में  
भूखण्ड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं।  
क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये  
उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक  
योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की  
अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर .....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता .....

दिनांक :- .....

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

### परिशिष्ट- 3

**मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय  
आदेश**

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ-3/130/32/97 राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएँ अनुमोदित है, कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति का गठन करता है-

1.	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
3.	म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4.	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्य पालन यंत्री	सदस्य
7.	म0प्र0 विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री	सदस्य
8.	(अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है।) (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित नहीं है)	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

हस्ताक्षर  
(जी0 व्ही0 उपाध्याय)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग

सतना विकास योजना 2035

## परिशिष्ट- 4

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय  
आदेश

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ-3/55/32/98 राज्य शासन एतद द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रिया न्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97 दिनांक 20.1.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

- (1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं-
1. संसद, संबंधित क्षेत्र
  2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
  3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
  4. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम
  5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
  6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

हस्ताक्षर  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग

सतना विकास योजना 2035

### परिशिष्ट- 5

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

क्रमांक 6567-32-इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 904/एफ-1-31-32-74, दिनांक 18.3.74 को निरस्त करते हुए राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत सतना निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होंगी :-

#### अनुसूची

#### सतना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ

उत्तर	बगहा, हदबदपुर, कैमाकोठार, बटिया खुर्द तथा नैना ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
पूर्व	नैना, बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, कटिया, सेजहटा तथा बेलहटा ग्राम की पूर्वी सीमा तक।
दक्षिण	बेलहटा, सोनवर्षा, डिलौरा, धवारी तथा बघेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
पश्चिम	बघेड़ी, महदेवा, अमोधा-खुर्द, चकबन्दी, गिदुरी, करहीहरमल्ला तथा बगहा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार

सही /-

(एस.यू.नाथ)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

---



---

**सतना विकास योजना 2035**


---



---

### परिशिष्ट- 6

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के अंगीकृत किये जाने संबंधी सूचना (म.प्र. राजपत्र भाग 3(1) दिनांक 6.10.1978 में प्रकाशित)

**कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रीवा (म.प्र.)**

सतना निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्ट्रों का अंगीकरण :-

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सतना निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उनकी एक प्रति नगर पालिका परिषद्, सतना कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र कमांक 905-एफ/1/31/तैंतीस-74 भोपाल, दिनांक 18 मार्च 1974 द्वारा सतना निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं।

#### सतना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	बगहा, हदबदपुर, कैमाकोठार, बठिया खुर्द तथा नैना ग्राम की उत्तरी सीमा तक।
पूर्व	नैना, बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, कटिया, सेजहटा तथा बेलहआ ग्राम की पूर्वी सीमा तक।
दक्षिण	बेलहटा, सोनवर्षा, डिलौरा, धवारी तथा बघेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।
पश्चिम	बघेड़ी, महदेवा, अमोधा-खुर्द, चकबन्दी, गिदुरी, करहीहरमल्ला तथा बगहा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक।

(आ.वी.लाल)

संयुक्त संचालक

## सतना विकास योजना 2035

## परिशिष्ट- 7

भाग-1

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010

672

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2010

## सूचना

क्र. एफ. 3-32-2009-बत्तीस-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सतना निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् -

1. कलेक्टर, जिला सतना (म.प्र.)
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना,
3. आयुक्त, नगर निगम, सतना

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
(वर्षा नावलेकर),  
उपसचिव